

परिशिष्टियाँ

i f j f' k"V 1.1
j k T; dk i f j n' ;
(संदर्भ: राज्य का परिदृश्य; पृष्ठ 1)

| v- l kekl; vkqdm# | | |
|-------------------|---|--|
| 00 1 0 | fooj .k | vkqdm# |
| 1 | क्षेत्रफल | 2,40,928 वर्ग किमी० |
| 2 | जनसंख्या | |
| | अ. 2011 की जनगणना के अनुसार | 19.98 करोड़ |
| | ब. 2017 | 22.35 करोड़ |
| 3 | अ. जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०) | 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० |
| | ब. जनसंख्या घनत्व ¹ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०) | 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० |
| 4 | गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या ² (बी०पी०एल०) (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत) | 29.40 प्रतिशत |
| 5 | अ. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत) | 56.27 प्रतिशत |
| | ब. साक्षरता ³ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत) (2017) | 67.70 प्रतिशत |
| 6 | शिशु मृत्युदर 2016 ⁴ (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत = 34 प्रति 1000 जन्म पर) | 43 प्रति 1000 जन्म पर |
| 7 | जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा ⁵ 2011-15 (अखिल भारतीय औसत = 68.3 वर्ष) | 64.5 वर्ष |
| 8 | मानव विकास सूचकांक ⁶ | |
| | अ. 2007-08 (अखिल भारतीय मानव विकास सूचकांक 0.467) | 0.38 |
| | ब. रैंक | 18 |
| 9 | सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वर्तमान मूल्यों पर | ₹ 13,75,607 करोड़ |
| 10 | प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2008-09 से 2017-18) | उत्तर प्रदेश 11.5 प्रतिशत सामान्य श्रेणी राज्य 13.1 प्रतिशत |
| 11 | सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁷ मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2008-09 से 2017-18) | उत्तर प्रदेश 13.4 प्रतिशत सामान्य श्रेणी राज्य 14.5 प्रतिशत |
| 12 | जनसंख्या वृद्धि ⁸ (2008 से 2017) | उत्तर प्रदेश 16.2 प्रतिशत सामान्य श्रेणी राज्य 11.6 प्रतिशत |

¹ अन्तिम जनसंख्या भारतीय सूचना 2011

² इकोनोमिक सर्वे 2017-18 (जनवरी 2018), भाग II, पृष्ठ अ 160-161

³ इकोनोमिक सर्वे 2017-18 (जनवरी 2018), भाग II, पृष्ठ अ 155

⁴ इकोनोमिक सर्वे 2017-18 (जनवरी 2018), भाग II, पृष्ठ अ 151

⁵ इकोनोमिक सर्वे 2017-18 (जनवरी 2018), भाग II, पृष्ठ अ 151

⁶ इकोनोमिक सर्वे 2017-18 (जनवरी 2018), भाग II, पृष्ठ अ 161

⁷ 1 अगस्त 2017 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 28 जुलाई 2018 के विवरण में वर्ष के लिये कुछ राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा के आंकड़े नहीं दिये गये हैं। अतः इन राज्यों के आंकड़े सम्बन्धित प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार से प्राप्त किये गये हैं।

⁸ भारत एवं राज्यों के जनसंख्या अनुमान 2001-2016 (पुनरीक्षित दिसम्बर 2006) राष्ट्रीय जनसंख्या कमीशन द्वारा गठित जनसंख्या अनुमान के तकनीकी ग्रुप के प्रतिवेदन की सारणी 14 (1 अक्टूबर 2001-2016 को लिंग आधारित कुल जनसंख्या)।

| c- foRrh; vkadMs | | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 00 10 | fooj .k | | vkadMs %i fr'kr e%h | | | |
| 13 | fefJr okf"kd of) nj | | 2008-09 s2016-17 | | 2016-17 s2017-18 | |
| | | | l kekl; Js kh jkT; | mRrj i ns k | l kekl; Js kh jkT; | mRrj i ns k |
| | क. | राजस्व प्राप्तियाँ | 15.1 | 16.1 | 11.3 | 8.5 |
| | ख. | कर राजस्व | 14.9 | 14.7 | 12.2 | 13.3 |
| | ग. | करेतर राजस्व | 9.5 | 19.9 | 5.9 | -31.6 |
| | घ. | कुल व्यय | 15.8 | 15.4 | 4.7 | -2.0 |
| | ङ. | पूँजीगत व्यय | 14.0 | 15.3 | 1.0 | -44.0 |
| | च. | शिक्षा पर राजस्व व्यय | 14.5 | 19.0 | 6.2 | -11.6 |
| | छ. | स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय | 16.2 | 16.8 | 10.7 | 15.0 |
| | ज. | वेतन एवं मजदूरी | 13.4 | 17.3 | 8.9 | -0.4 |
| | झ. | पेंशन | 16.2 | 19.2 | 22.9 | 36.3 |

(स्रोत: वित्तीय आंकड़े सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित हैं)

i f j f' k"V 1.2

'kkl dh; ys[ks dk : i , oa l j puk rFkk foRr ys[ks dk i k: i
(संदर्भ: प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 1)

| Hkx&v% 'kkl dh; ys[ks dk : i , oa l j puk | |
|---|--|
| 'kkl dh; ys[ks dh l j puk: राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखे। | |
| Hkx-1 l efd r fuf/k% राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है। | |
| Hkx-2 vkdfLedrk fuf/k% संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधायिका की संस्तुति प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है। | |
| Hkx-3 ykd ys[k% प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुछ लेनदेनों यथा लघु बचत, भविष्य निधि, समेकित निधि, निक्षेप, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं। | |
| Hkx&c% foRr ys[ks dk i k: i | |
| foRr ys[ks nks Hkxka ea foHkfr gA Hkx , d l j dk ds foRr; foj.k ds l kj ka kh d r #i ea vkj Hkx nks ea foLr foj.k iLr fd; k tkrk gA Hkx , d ea Hkj r ds fu; a=d , oa egkys[kki j h{k d ds i ek. k&i =] 13 l kj ka k foj.k vkj ys[ks dh ; kstuk ij fVli . kh dks l fefyr fd; k tkrk gS tS k fd uhps fn; k x; k gA | |
| foj.k l 0 | i k: i |
| [k. M&I | |
| 1 | वित्तीय स्थिति का विवरण |
| 2 | प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण, अनुलग्नक-अ, रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश सहित |
| 3 | प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) |
| 4 | व्यय का विवरण (समेकित निधि) |
| 5 | प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण |
| 6 | उधारों और अन्य दायित्वों का विवरण |
| 7 | सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण |
| 8 | सरकार के निवेशों का विवरण |
| 9 | सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण |
| 10 | सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदानों का विवरण |
| 11 | दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण |
| 12 | राजस्व लेखे से भिन्न व्ययों के लिए निधियों के स्रोत एवं प्रयोग का विवरण |
| 13 | समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत शेष राशियों का सारांश |
| [k. M&II | |

| HkkX&I | |
|--------------------|---|
| 14 | राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण |
| 15 | राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण |
| 16 | पूंजीगत व्यय का लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार विस्तृत विवरण |
| 17 | उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण |
| 18 | राज्य सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण |
| 19 | सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण |
| 20 | सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण |
| 21 | आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे के लेन-देनों का विस्तृत विवरण |
| 22 | उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण |
| HkkX&II %i f' k"V½ | |
| परिशिष्ट-I | वेतन पर तुलनात्मक व्यय |
| परिशिष्ट-II | सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय |
| परिशिष्ट-III | राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थानवार और योजनावार) |
| परिशिष्ट-IV | वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण |
| परिशिष्ट-V | योजनाओं पर व्यय अ. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं एवं केन्द्रीय योजनाएं) ब. राज्य योजनाएं |
| परिशिष्ट-VI | राज्य में क्रियान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा अन्तरण (राज्य बजट के बाहर से प्राप्त निधियाँ) (असंप्रेक्षित आँकड़े) |
| परिशिष्ट-VII | शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है) |
| परिशिष्ट-VIII | सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम |
| परिशिष्ट-IX | सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची |
| परिशिष्ट-X | वेतन एवं गैर वेतन भाग में विभक्त अनुरक्षण व्यय |
| परिशिष्ट-XI | वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं |
| परिशिष्ट-XII | सरकार की वचनबद्ध देयताएं |
| परिशिष्ट-XIII | मदें, जिनके लिये राज्यों के मध्य शेषों का विभाजन राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप अन्तिम रूप से नहीं हुआ है |

1.3
2017-18 ds fy, çkflr; k, oa l forj . kka dk l kj
 (संदर्भ: प्रस्तर 1.2; पृष्ठ 2)

(₹ djkM+e)

| çkflr; k | | l forj . k | | | |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| 2016-17 | | 2017-18 | 2016-17 | | 2017-18 |
| Hkx ^ | | | | | |
| 2,56,875.15 | I jktLo ikflr; k | 2,78,775.45 | 2,36,592.26 | I jktLo 0; ; | 2,66,223.52 |
| 85,965.92 | -कर राजस्व | 97,393.00 | 88,254.81 | l kekl; l ok, a | 1,05,781.67 |
| | | | 91,861.12 | l keftd l ok, a | 84,251.68 |
| 28,944.07 | -करेतर राजस्व | 19,794.86 | 52,219.91 | -शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 46,140.89 |
| | | | 12,861.53 | -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 14,792.46 |
| 1,09,428.29 | -संघीय करों में राज्यांश | 1,20,939.14 | 4,535.76 | -जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | 6,504.18 |
| | | | 612.93 | -सूचना एवं प्रसारण | 338.93 |
| 9,334.95 | -आयोजनेत्तर अनुदान | 00 | 4,171.04 | -अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 4,686.84 |
| 232.32 | -राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान | 00 | 635.91 | -श्रम तथा श्रमिक कल्याण | 880.39 |
| | | | 16,729.29 | -समाज कल्याण तथा पोषण | 10,803.71 |
| 22,969.60 | -केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान | 00 | 94.75 | अन्य | 104.28 |
| 00 | -वाह्य अनुदान सहायता | 00 | 45,834.17 | vkfkd l ok, j | 64,634.76 |
| 00 | -केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान | 27,730.91 | 5,599.28 | -कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ | 27,265.39 |
| | | | 13,848.25 | -ग्राम्य विकास | 17,086.30 |
| 00 | -वित्त आयोग अनुदान | 8,849.23 | 11.98 | -विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम | 72.61 |
| | | | 5,466.12 | -सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 6,980.61 |
| | | | 14,539.74 | -ऊर्जा | 7,161.54 |
| | | | 672.51 | -उद्योग एवं खनिज | 1,308.40 |
| | | | 4,825.92 | -परिवहन | 4,125.24 |
| 00 | -अन्य अन्तरण/राज्य को अनुदान | 4,068.31 | 62.65 | -विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण | 56.17 |
| | | | 807.70 | -सामान्य आर्थिक सेवाएँ | 578.50 |
| | | | 10,642.16 | l gk; rk vupku , oa vā knku | 11555.41 |
| 2,56,875.15 | | 2,78,775.45 | 2,36,592.26 | | 2,66,223.52 |
| ' kd; | II jktLo ?kkVk Hkx ^c* dks vxflkr | ' kd; | 20282.89 | II jktLo cpr Hkx ^c* dks vxflkr | 12,551.93 |

| | | çkflr; k | | l forj .k | |
|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|
| 2016-17 | | 2017-18 | 2016-17 | | 2017-18 |
| 2,56,875.15 | | 2,78,775.45 | 2,56,875.15 | | 2,78,775.45 |
| Hkkx ^c* | | | | | |
| (-157.08 | III çkj fEHkd jkdM+ 'k'sk] LFkkl' vfxe , oa jkdM+ 'k'sk fuos'k l fgr | 943.91 | - | III Hkkj rh; fj toz c'd l s çkj fEHkd vkobjMkV | - |
| - | IV fofo/k i thxr çkflr; ka | - | 69,789.12 | IV i thxr ifj0; ; | 39,087.97 |
| | | | 5,727.30 | l kekl; l ok, a | 2,775.78 |
| | | | 17,150.47 | l keftd l ok, a | 11,625.13 |
| | | | 2,018.30 | -शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 938.27 |
| | | | 2,922.30 | -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 2,111.98 |
| | | | 10,657.60 | -जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | 7,576.16 |
| | | | 85.31 | -अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 275.53 |
| | | | 1,109.70 | -समाज कल्याण तथा पोषण | 421.05 |
| | | | 357.25 | -अन्य | 302.14 |
| | | | 46,911.35 | vkfFkd l ok, a | 24,687.06 |
| | | | 3,921.13 | -कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप | 1,614.43 |
| | | | 2,249.22 | -ग्राम्य विकास | 2,313.12 |
| | | | 698.02 | -विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम | 591.16 |
| | | | 5,200.76 | -सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 3,107.33 |
| | | | 11,735.08 | -ऊर्जा | 8,312.88 |
| | | | 152.03 | -उद्योग एवं खनिज | 69.39 |
| | | | 22,653.07 | -परिवहन | 8,324.75 |
| | | | 297.60 | -सामान्य आर्थिक सेवाएं | 354.00 |
| | | | 4.42 | -विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण | 00 |
| 258.79 | V __. kka , oa vfxeka dh ol iyh | 235.77 | 6,741.09 | V l forfjr __.k rFkk vfxe | 1,509.29 |
| | विद्युत परियोजनाओं से | 00 | 3,700.32 | -विद्युत परियोजनाओं हेतु | 00 |
| | सरकारी कर्मचारियों से | 101.81 | 91.54 | -सरकारी कर्मचारियों को | 88.42 |
| | अन्य से | 133.96 | 2,949.24 | -अन्य को | 1,420.87 |
| 20,282.89 | VI v/kkuhr jktLo vf/k' k'sk | 12,551.93 | - | VI v/kkuhr jktLo ?kkVv | - |
| 67,685.07 | VII ykcd __.k çkflr; ka | 47,416.56 | 20,302.67 | VII ykcd __.k dk i pthkxku | 15,002.10 |

| | | ॢkfllr; k | | l forj .k | | |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|---|-------------|
| 2016-17 | | 2017-18 | 2016-17 | | 2017-18 | |
| 57,958.94 | -अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण | 43,380.45 | 10,167.95 | | -अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण | 10,528.18 |
| 8,695.05 | -अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन देन | 2,932.95 | 8,695.05 | | -अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन देन | 2,932.95 |
| - | -ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन देन | - | - | | -ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन देन | - |
| 1,031.08 | -केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम | 1,103.16 | 1,439.67 | | -केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान | 1,540.97 |
| - | VIII vkdfLedrk fuf/k l s fofu; ksx | - | - | VIII vkdfLedrk fuf/k dks fofu; ksx | - | - |
| 173.12 | IX vkdfLedrk fuf/k dks LFkkukUrfj r /kujkf' k | 258.04 | 349.16 | IX vkdfLedrk fuf/k l s 0; ; | 413.00 | 413.00 |
| 3,06,406.38 | X ykd ys[ks ॢkfllr; k | 3,20,471.07 | 2,96,523.22 | X ykd ys[ks l forj .k | 3,14,383.77 | 3,14,383.77 |
| 10,171.49 | -अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां | 11,718.07 | 8,552.40 | | -अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां | 9,187.94 |
| 20,005.79 | -आरक्षित निधियां | 15,267.53 | 12,780.77 | | -आरक्षित निधियां | 7,002.81 |
| 15,762.62 | -उचन्त एवं विविध | 2,48,680.18 | 16,063.24 | | -उचन्त एवं विविध | 2,50,894.80 |
| 2,27,377.96 | -प्रेषण | 28,928.93 | 2,26,786.07 | | -प्रेषण | 32,835.24 |
| 33,088.52 | -जमा तथा अग्रिम | 15,876.36 | 32,340.74 | | -जमा तथा अग्रिम | 14,462.98 |
| - | XI Hkkj rh; fj toz cid l s vkqj MkV dk vfre vo' ks'k | - | 943.91 | XI vfre jkdM+ ' ks'k | 11,481.15 | 11,481.15 |
| | | | 00 | | -कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण | 00 |
| | | | (-)1,280.65 | | भारतीय रिजर्व बैंक में जमा | 265.21 |
| | | | 11.13 | | -स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष | 11.36 |
| | | | 2,168.23 | | -रोकड़ शेष निवेश लेखा | 11,159.38 |
| | | | 45.20 | | Mfnk"V fuf/k; ka ea fuo' k | 45.20 |
| 6,51,524.32 | ; ksx | 6,60,652.73 | 6,51,524.32 | ; ksx | 6,60,652.73 | 6,60,652.73 |

1.4
2017-18 ds fy, ctV vupekU okLrfod i kflr; k; , oa 0; ;
 (संदर्भ: प्रस्तर 1.3.3; पृष्ठ 7)

(₹ djkm+e)

| fooj .k | ctV vupekU | okLrfod 0; ; | of) (+)/ deh (-) | of) (+)/ deh (-) i fr'kr ea |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3-2) | 5 |
| jktLo i kflr; k; ftl ea | 3,19,397.43 | 2,78,775.45 | (-40,621.98) | (-12.72) |
| dj jktLo | 1,11,501.90 | 97,393.00 | (-14,108.90) | (-12.65) |
| राज्य वस्तु एवं सेवाकर | 28,602.70 | 25,373.96 | (-3,228.74) | (-11.29) |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 36,397.30 | 31,112.52 | (-5,284.78) | (-14.52) |
| राज्य आबकारी | 20,593.23 | 17,320.27 | (-3,272.96) | (-15.89) |
| वाहनों पर कर | 5,481.20 | 6,403.65 | 922.45 | 16.83 |
| स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क | 17,458.34 | 13,397.57 | (-4,060.77) | (-23.26) |
| सामान एवं यात्रियों पर कर | 00 | 0.04 | 0.04 | 00 |
| भू-राजस्व | 706.04 | 1,336.46 | 630.42 | 89.29 |
| अन्य कर | 2,263.09 | 2,448.53 | 185.44 | 8.19 |
| djrj jktLo | 18,436.71 | 19,794.86 | 1,358.15 | 7.37 |
| ब्याज प्राप्तियाँ | 800.00 | 1,093.38 | 293.38 | 36.67 |
| विविध सामान्य सेवाएँ | 4,502.00 | 4,841.11 | 339.11 | 7.53 |
| अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग | 3,200.00 | 3,258.88 | 58.88 | 1.84 |
| अन्य करेतर राजस्व | 17,628.71 | 10,601.49 | (-7,027.22) | (-39.86) |
| dlnh; djka , oa 'kYdka dk va k | 1,21,406.51 | 1,20,939.14 | (-467.37) | (-0.38) |
| Hkkjr l jdkj l s l gk; rk vupekU | 68,052.31 | 40,648.45 | (-27,403.86) | (-40.27) |
| jktLo 0; ; ftl ea | 3,07,118.63 | 2,66,223.52 | (-40,895.11) | (-13.32) |
| l keklj; l ok, j | 1,11,039.05 | 1,05,781.67 | (-5,257.38) | (-4.73) |
| प्रशासनिक सेवाएँ | 21,827.57 | 19,338.33 | (-2,489.24) | (-11.40) |
| पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएँ | 35,936.12 | 38,518.36 | 2,582.24 | 7.19 |
| ब्याज का भुगतान तथा ऋण सेवा | 45,444.39 | 41,368.06 | (-4,076.33) | (-8.97) |
| राजकोषीय सेवाएँ | 4,581.43 | 4,009.56 | (-571.87) | (-12.48) |
| राज्य के अंग | 3,249.52 | 2,547.37 | (-702.15) | (-21.61) |
| l keftd l ok, j | 1,01,406.86 | 84,251.68 | (-17,155.18) | (-16.93) |
| शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 50,490.46 | 46,140.89 | (-4,349.57) | (-8.61) |
| समाज कल्याण एवं पोषण | 15,507.96 | 10,803.71 | (-4,704.25) | (-30.33) |
| अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 4,910.93 | 4,686.84 | (-224.09) | (-4.56) |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 16,316.55 | 14,792.45 | (-1,524.10) | (-9.34) |
| जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | 12,460.52 | 6,504.18 | (-5,956.34) | (-47.80) |
| सूचना एवं प्रसार | 355.91 | 338.93 | (-16.98) | (-4.77) |
| श्रम एवं श्रमिक कल्याण | 1,227.72 | 880.39 | (-347.33) | (-28.29) |
| अन्य | 136.80 | 104.28 | (-32.52) | (-23.77) |

| वर्ग | 2017-18 | 2018-19 | वर्धन (+)/ घटन (-) | वर्धन (+)/ घटन (-) (प्रतिशत) |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| कुल | 83,094.58 | 64,634.76 | (-18,459.82) | (-22.22) |
| कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएँ | 43,695.41 | 27,265.39 | (-16,430.02) | (-37.60) |
| ग्राम्य विकास | 17,279.93 | 17,086.30 | (-193.63) | (-1.12) |
| विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम | 265.81 | 72.61 | (-193.20) | (-72.68) |
| सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 7,898.77 | 6,980.61 | (-918.16) | (-11.62) |
| ऊर्जा | 7,060.80 | 7,161.54 | 100.74 | 1.53 |
| उद्योग एवं खनिज | 1,775.60 | 1,308.40 | (-467.20) | (-26.31) |
| परिवहन | 4,002.54 | 4,125.24 | 122.70 | 3.07 |
| विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण | 70.61 | 56.17 | (-14.44) | (-20.45) |
| सामान्य आर्थिक सेवाएँ | 1,045.11 | 578.50 | (-466.61) | (-44.65) |
| कुल | 11,578.15 | 11,555.41 | (-22.74) | (-0.20) |
| कुल | 53,257.60 | 39,087.97 | (-14,169.63) | (-26.61) |
| कुल | 3,601.05 | 2,775.78 | (-825.27) | (-22.92) |
| कुल | 15,111.06 | 11,625.13 | (-3,485.93) | (-23.07) |
| शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 1,721.94 | 938.27 | (-783.67) | (-45.51) |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 2,333.08 | 2,111.98 | (-221.10) | (-9.48) |
| जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | 9,789.21 | 7,576.16 | (-2,213.05) | (-22.61) |
| अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 227.93 | 275.53 | 47.60 | 20.88 |
| समाज कल्याण एवं पोषण | 689.32 | 421.05 | (-268.27) | (-38.92) |
| अन्य सामाजिक सेवाएँ | 349.58 | 302.14 | (-47.44) | (-13.57) |
| कुल | 34,545.49 | 24,687.06 | (-9,858.43) | (-28.54) |
| कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएँ | 722.38 | 1,614.43 | 892.05 | 123.49 |
| ग्राम्य विकास | 3,377.60 | 2,313.12 | (-1,064.48) | (-31.52) |
| विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम | 977.85 | 591.16 | (-386.69) | (-39.54) |
| सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 4,093.24 | 3,107.33 | (-985.91) | (-24.09) |
| ऊर्जा | 7,383.51 | 8,312.88 | 929.37 | 12.59 |
| उद्योग एवं खनिज | 106.02 | 69.39 | (-36.63) | (-34.55) |
| परिवहन | 15,453.89 | 8,324.75 | (-7,129.14) | (-46.13) |
| विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण | 00 | 00 | 00 | 00 |
| सामान्य आर्थिक सेवाएँ | 2,431.00 | 354.00 | (-2,077.00) | (-85.44) |
| कुल | (+12,278.80) | (+12,551.93) | 273.13 | 2.22 |
| कुल | (-42,967.86) | (-27,809.56) | (-15,158.30) | (-35.28) |
| कुल | (-9,755.69) | (+1,326.27) | (-8,429.42) | (-86.41) |

1.5
व्यय
(संदर्भ: प्रस्तर 1.4.1; पृष्ठ 10)

(₹ करोड़)

| | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Hkkx v- çkflr; k | | | | | |
| 1. jktLo çkflr; ka | 1,68,214 | 1,93,422 | 2,27,076 | 2,56,875 | 2,78,775 |
| (i) Lo; a ds dj jktLo | 66,582(40) | 74,172(38) | 81,106(36) | 85,966(33) | 97,393(35) |
| राज्य वस्तु एवं सेवाकर | - | - | - | - | 25,374(26) |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 39,645(60) | 42,934(58) | 47,692(59) | 51,883(60) | 31,113(32) |
| राज्य आबकारी | 11,644(18) | 13,483(18) | 14,084(17) | 14,274(17) | 17,320(18) |
| वाहनों पर कर | 3,441(5) | 3,797(5) | 4,410(5) | 5,148(6) | 6,404(7) |
| स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क | 9,521(14) | 11,803(16) | 12,404(15) | 11,564(13) | 13,398(14) |
| भू-राजस्व | 772(1) | 527(1) | 505(1) | 760(1) | 1,336(1) |
| सामान तथा यात्रियों पर कर | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0 | 0 |
| अन्य कर | 1,558(2) | 1,627(2) | 2,010(3) | 2,337(3) | 2,448(2) |
| (ii) djrj jktLo | 16,450(10) | 19,935(10) | 23,135(10) | 28,944(11) | 19,795(7) |
| (iii) l çkflr; , oa 'kçdka ea jkt; kd k | 62,777(37) | 66,623(35) | 90,974(40) | 1,09,428(43) | 1,20,939(43) |
| (iv) Hkkjr l jdkj l s l gk; rk vupku | 22,405(13) | 32,692(17) | 31,861(14) | 32,537(13) | 40,648(15) |
| 2. fofo/k iwthx çkflr; ka | - | - | - | - | - |
| 3. __.k , oa vfxeka dh ol nyh | 589 | 262 | 726 | 259 | 236 |
| 4. dçy jktLo , oa xj __.k iwthx çkflr; ka %1\$2\$3½ | 1,68,803 | 1,93,684 | 2,27,802 | 2,57,134 | 2,79,011 |
| 5. ykd __.k çkflr; ka | 14,900 | 35,520 | 74,514 | 67,685 | 47,417 |
| आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर) | 14,502(97) | 33,302(94) | 69,421(93) | 57,959(86) | 43,381(92) |
| अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन | 8(0) | 1,732(5) | 4,499(6) | 8,695(13) | 2,933(6) |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 390(3) | 486(1) | 594(1) | 1,031(1) | 1,103(2) |
| 6. l efdr fuf/k ea dçy çkflr; ka %4\$5½ | 1,83,703 | 2,29,204 | 3,02,316 | 3,24,819 | 3,26,428 |
| 7. vkdfLedrk fuf/k çkflr; ka | 262 | 1 | 201 | 173 | 258 |
| 8. ykd ys[kk i kflr; k | 2,26,078 | 2,30,199 | 2,65,972 | 3,06,406 | 3,20,471 |
| 9. jkt; dh dçy çkflr; ka %6\$7\$8½ | 4,10,043 | 4,59,404 | 5,68,489 | 6,31,398 | 6,47,157 |
| Hkkx c- 0; ; @l forj . k | | | | | |
| 10. jktLo 0; ; | 1,58,147(82) | 1,71,027(76) | 2,12,736(74) | 2,36,592(76) | 2,66,224(87) |
| आयोजनागत | 31,657(20) | 33,262(19) | 43,251(20) | 49,706(21) | |
| आयोजनेत्तर | 1,26,490(80) | 1,37,765(81) | 1,69,485(80) | 1,86,886(79) | |
| सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित) | 61,983(39) | 64,305(38) | 72,228(34) | 88,255(37) | 1,05,782(40) |
| सामाजिक सेवाएं | 60,756(39) | 60,906(36) | 82,487(39) | 91,861(39) | 84,252(32) |
| आर्थिक सेवाएं | 25,711(16) | 34,885(20) | 47,881(22) | 45,834(19) | 64,635(24) |
| सहायता अनुदान एवं अंशदान | 9,696(6) | 10,931(6) | 10,140(5) | 10,642(5) | 11,555(4) |
| 11. पूंजीगत व्यय | 32,863(17) | 53,297(23) | 64,423(23) | 69,789(22) | 39,088(13) |
| आयोजनागत | 30,608(93) | 44,416(83) | 49,045(76) | 60,573(87) | |
| आयोजनेत्तर | 2,255(7) | 8,881(17) | 15,378(24) | 9,216(13) | |

| | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| सामान्य सेवाएं | 3,463(10) | 4,009(7) | 5,259(8) | 5,727(8) | 2,776(7) |
| सामाजिक सेवाएं | 6,760(21) | 12,755(24) | 11,707(18) | 17,151(25) | 11,625(30) |
| आर्थिक सेवाएं | 22,640(69) | 36,534(69) | 47,457(74) | 46,911(67) | 24,687(63) |
| 12. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण | 1,473(1) | 1,873(1) | 9,118(3) | 6,741(2) | 1,509(0) |
| 13. कुल व्यय (10+11+12) | 1,92,483 | 2,26,197 | 2,86,277 | 3,13,122 | 3,06,821 |
| 14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान | 8,167 | 9,411 | 17,673 | 20,303 | 15,002 |
| आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर) | 6,694(82) | 8,051(86) | 10,045(57) | 10,168(50) | 10,528(70) |
| अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन | 8(0) | - | 6,231(35) | 8,695(43) | 2,933(20) |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 1,465(18) | 1,360(14) | 1,397(8) | 1,440(7) | 1,541(10) |
| 15. आकस्मिकता निधि को विनियोग | - | - | - | - | - |
| 16. l efd r fuf/k l s dly l forj .k ½ dly 0; ; ½ (13+14+15) | 2,00,650 | 2,35,608 | 3,03,950 | 3,33,425 | 3,21,823 |
| 17. vkdfLedrk fuf/k l forj .k | 87 | 203 | 44 | 349 | 413 |
| 18. ykd ys[ks l forj .k | 2,20,459 | 2,28,014 | 2,64,294 | 2,96,523 | 3,14,384 |
| 19. jkT; }kj k dly l forj .k (16+17+18) | 4,21,196 | 4,63,825 | 5,68,288 | 6,30,297 | 6,36,620 |
| Hkkx l - ?kkVk | | | | | |
| 20. jktLo ?kkVk %&½@jktLo vkf/kD; %\$½ (1-10) | (+)10,067 | (+) 22,394 | (+) 14,340 | (+)20,283 | (+)12,552⁹ |
| 21. jkt dks'kh; ?kkVk %&½@jkt dks'kh; vkf/kD; %\$½ (4-13) | (-)23,680 | (-) 32,513 | (-) 58,475 | (-)55,988 | (-)27,810 |
| 22. i kFkfed ?kkVk (21+23) | (-)6,268 | (-) 13,648 | (-) 37,027 | (-)29,052 | (+)1,326 |
| Hkkx n- vU; vkcdMg | | | | | |
| 23. C; kt Hkpxrku yjktLo 0; ; ea l feefyr½ | 17,412 | 18,865 | 21,448 | 26,936 | 29,136 |
| 24. LFkkuh; fudk; ka dks foUkh; l gk; rkj bR; kfn | 45,576 | 52,241 | 77,069 | 82,378 | 92,221 |
| 25. vFkkk k; vfxæ , oa vkøj Mk¶V dk ykhk %fnuka ea½ | - | - | 14 | - | 5 |
| अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग (दिनों में) | - | - | 14 | - | 5 |
| ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिनों में) | - | - | - | - | - |
| 26. vFkkk k; vfxæ@vkøj Mk¶V ij C; kt | - | - | - | - | - |
| 27. oræku ea½; ij l dy jkT; ?kjsym mRi kn ½th, l -Mh-i h- | 9,40,356 | 10,11,790 | 11,37,210 | 12,50,213 | 13,75,607 |
| 28. cdk; k jkt dks'kh; ns rk, a %o"kkDr½ | 2,81,709 | 3,07,859 | 3,67,252 | 4,23,224 | 4,67,842 |
| 29. cdk; k i R; kHkfr; k½ %o"kkDr½ C; kt l fgr | 62,822 | 70,740 | 57,618 | 55,825 | 74,841 |
| 30. vf/kdre i R; kHkfr /kujkf' k; ka %o"kkDr½ | 69,752 | 78,023 | 78,826 | 66,702 | 74,303 |
| 31. viukl ifj; kstukvka dh l a[; k | 412 | 545 | 924 | 611 | 1,065 |
| 32. viukl ifj; kstukvka ea vo#) iwth | 3,032 | 7,714 | 14,407 | 12,987 | 11,195 |

⁹ राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,78,775.45 करोड़ – राजस्व व्यय ₹ 2,66,223.52 करोड़= ₹ 12,551.93 करोड़।

| | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hkx ; - jktdk's'kh; fLFkfr ds l drd | | | | | |
| I l d k/kuk d k l xg.k | | | | | |
| स्वयं का कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 7.08 | 7.33 | 7.13 | 6.88 | 7.08 |
| करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 1.75 | 1.97 | 2.03 | 2.32 | 1.44 |
| केन्द्रीय स्थानान्तरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 6.68 | 6.58 | 8.00 | 8.75 | 8.79 |
| II 0; ; çcl/ku | | | | | |
| कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 20.47 | 22.36 | 25.17 | 25.05 | 22.30 |
| कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ | 114.43 | 116.94 | 126.07 | 121.90 | 110.06 |
| राजस्व व्यय/कुल व्यय | 82.16 | 75.61 | 74.31 | 75.56 | 86.77 |
| सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय | 35 | 33 | 33 | 35 | 31 |
| आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय | 25 | 32 | 33 | 30 | 29 |
| पूँजीगत व्यय/कुल व्यय | 17 | 24 | 23 | 22 | 13 |
| सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल पूँजीगत व्यय/कुल व्यय | 15 | 22 | 21 | 20 | 12 |
| III jktdk's'kh; vl lryu dk çcl/ku | | | | | |
| राजस्व घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद | (+)1.07 | (+)2.21 | (+)1.26 | (+)1.62 | (+)0.91 |
| राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद | (-)2.52 | (-)3.21 | (-)5.14 | (-)4.48 | (-)2.02 |
| प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद | (-)0.67 | (-)1.35 | (-)3.26 | (-)2.32 | (+)0.10 |
| IV jktdk's'kh; ns rkvk d k çcl/ku | | | | | |
| राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 |
| राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ | 167 | 159 | 162 | 165 | 168 |
| V vl; jktdk's'kh; fLFkfr ds l drd | | | | | |
| निवेश पर प्रतिफल | 5.23 | 8.08 | 42.66 | 86.34 | 30.84 |
| वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएं | 0.89 | 0.97 | 1.02 | 1.06 | 1.08 |

कोष्ठक में दिए गये अंक प्रत्येक उपशीर्षों का कुल योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करता है।

i f'f' k"V 1.6

o"kl 2013-18 dh vof/k eLo; a dk dj@dj rj jktLo dk l xg
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.4.1.1; पृष्ठ 11)

¼v½ o"kl 2013-18 dh vof/k eLo; a dk dj jktLo

(₹ djkm+e)

| ' kh"kl | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | ctV vuøku | okLrfod 0; ; |
| राज्य वस्तु एवं सेवा कर | - | - | - | - | 28,603 | 25,374 |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 39,645 | 42,934 | 47,692 | 51,883 | 36,397 | 31,113 |
| राज्य आबकारी | 11,644 | 13,483 | 14,084 | 14,274 | 20,593 | 17,320 |
| वाहनों पर कर | 3,441 | 3,797 | 4,410 | 5,148 | 5,481 | 6,404 |
| स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क | 9,521 | 11,803 | 12,404 | 11,564 | 17,458 | 13,398 |
| भू-राजस्व | 772 | 527 | 505 | 760 | 706 | 1,336 |
| विद्युत पर कर एवं शुल्क | 1,048 | 1,085 | 1,338 | 1,556 | 1,500 | 2,124 |
| अन्य कर | 511 | 543 | 673 | 781 | 764 | 325 |
| ; kx ¼v½ | 66,582 | 74,172 | 81,106 | 85,966 | 1,11,502 | 97,393 |

¼c½ o"kl 2013-18 dh vof/k eLo; a dk dj rj jktLo

(₹ djkm+e)

| ' kh"kl | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | ctV vuøku | okLrfod 0; ; |
| ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ | 1,624 | 2,310 | 676 | 1,251 | 808 | 1,124 |
| सामान्य सेवायें | 3,907 | 7,122 | 6,114 | 5,994 | 5,500 | 6,806 |
| सामाजिक सेवायें | 7,159 | 6,514 | 11,264 | 14,653 | 1,039 | 1,571 |
| आर्थिक सेवायें | 3,760 | 3,988 | 5,081 | 7,046 | 11,089 | 10,294 |
| ; kx ¼c½ | 16,450 | 19,935 | 23,135 | 28,944 | 18,436 | 19,795 |
| egk; kx ¼v½c½ | 83,032 | 94,107 | 1,04,241 | 1,14,910 | 1,29,938 | 1,17,188 |

1.7
31 मार्च 2018 के लिए धन व्यय; फलस्वरूप की राशि
 (संदर्भ: प्रस्तर 1.9.1; पृष्ठ 29)

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2017 के लिए | | 31.03.2018 के लिए |
|--------------------|--|--------------------|
| 2,88,626.78 | कुल राशि | 3,21,479.05 |
| 1,64,872.76 | ब्याज सहित बाजार ऋण | 2,02,050.31 |
| 2.63 | ब्याज रहित बाजार ऋण | 3.08 |
| 2.30 | भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण | 1.61 |
| 1,23,749.09 | अन्य संस्थानों से ऋण | 1,19,424.05 |
| 00 | अर्थोपाय अग्रिम | 00 |
| 00 | भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट | 00 |
| 13,249.62 | कुल राशि | 12,811.82 |
| 9.94 | 1984-85 से पहले का ऋण | 9.94 |
| 65.52 | आयोजनेतर ऋण | 0.27 |
| 13,162.54 | राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण | 12,789.99 |
| 00 | केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण | 00 |
| 10.19 | केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण | 10.19 |
| 1.43 | अर्थोपाय अग्रिम | 1.43 |
| 600.00 | कुल राशि | 600.00 |
| 48,237.64 | व्यय; फलस्वरूप | 50,767.76 |
| 22,094.39 | कुल राशि | 23,503.49 |
| 51,015.35 | व्यय; फलस्वरूप | 59,280.07 |
| 3,480.54 | कुल राशि | 00 |
| 23,891.38 | व्यय; फलस्वरूप | 36,443.29 |
| 3,608.49 | (i) वर्ष के प्रारम्भ में संचयी घाटा | 23,891.36 |
| 20,282.89 | (ii) वर्तमान वर्ष में राजस्व आधिक्य | 12,551.93 |
| 4,51,195.70 | कुल राशि | 5,04,885.48 |
| कुल राशि | | |
| 4,20,315.71 | व्यय; फलस्वरूप | 4,59,403.68 |
| 96,400.05 | कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश | 1,04,778.71 |
| 3,23,915.66 | अन्य पूंजीगत परिव्यय | 3,54,624.97 |
| 308.12 | कुल राशि | 463.08 |
| 28,446.79 | कुल राशि | 29,720.31 |
| 11,713.87 | विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण | 11,713.87 |
| 16,518.22 | अन्य विकास ऋण | 17,805.12 |
| 214.70 | सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण | 201.32 |
| 45.20 | कुल राशि | 45.20 |

| 31.03.2017 dks | | | 31.03.2018 dks |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| 91.58 | vfxe | | 87.29 |
| 1,089.59 | mpllr , oa fofo/k 'k'k | | 3,304.21 |
| 00 | i d'k. k | | 425.76 |
| 898.71 | j kcdM+ | | 11,435.95 |
| 00 | कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण | 00 | |
| (-)1,280.65 | भारतीय रिजर्व बैंक में जमा | 265.21 | |
| 10.69 | विभागीय रोकड़ शेष | 10.87 | |
| 0.44 | स्थाई अग्रिम | 0.49 | |
| 2,168.23 | रोकड़ शेष निवेश | 11,159.38 | |
| 4,51,195.70 | | ; kx | 5,04,885.48 |

lkfj' k"V 1.3 , oa 1.7 ds fy, 0; k[; kRed fVli f. k; k;

पूर्ववर्ती विवरणों में संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दिए गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय। सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधारित होते हैं, सरकारी लेखे में घाटे, जैसा कि *ifff'k"V 1.7* में प्रदर्शित है, नकदी आधार पर प्रदर्शित है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद का ह्रास अथवा भंडार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है। उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया, राज्य की ओर से किए गये भुगतान एवं अन्य लम्बित समाधान सम्मिलित है। "रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच ₹ 139.66 करोड़ (निवल डेबिट) का अन्तर था।

1.8
विकास निधि
(संदर्भ : प्रस्तर 1.9.2; पृष्ठ 29)

(₹ करोड़)

| विवरण | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 8115- मूल्यहास / आरक्षित निधि-सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम | (-) 4,441.57 | 00 | 00 | (-) 4,441.57 |
| 103- मूल्यहास / आरक्षित निधि-सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 105- मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता | (-) 4,441.57 | 00 | 00 | (-) 4,441.57 |
| 8121- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 102- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि | (-) 6.19 | 00 | 00 | (-) 6.19 |
| 111- आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत | 6.19 | 00 | 00 | 6.19 |
| कुल | (-) 4,441.57 | 00 | 00 | (-) 4,441.57 |
| 8222- सिंचन | 40,76,490.33 | 6,96,678.20 | 4,69,904.00 | 43,03,264.53 |
| 01- सिंचन घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन | 40,76,490.33 | 6,96,678.20 | 4,69,904.00 | 43,03,264.53 |
| 101- सिंचन फण्ड | | | | |
| 8223- अकाल राहत | (-) 78.01 | 00 | 00 | (-) 78.01 |
| 102- अकाल राहत निधि-निवेश लेखा | (-) 78.01 | 00 | 00 | (-) 78.01 |
| 8225- राजस्व | (-) 32,173.73 | 2,50,000.00 | 2,49,972.76 | (-) 32,146.49 |
| 101- राजस्व सड़क तथा सेतु निधि | (-) 32,173.73 | 2,50,000.00 | 2,49,972.76 | (-) 32,146.49 |
| 8226- आरक्षित निधि | 4,029.97 | 2,000.00 | 6,829.00 | (-) 799.03 |
| 102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि | 4,029.97 | 2,000.00 | 6,829.00 | (-) 799.03 |
| 8229- शिक्षा | 43,992.77 | 2,00,003.47 | 1,76,389.06 | 67,607.18 |
| 101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि | 1,84,790.17 | (-) 2,00,557.11 | (-) 20,102.35 | 4,335.41 |
| 102- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि | 1,088.84 | 00 | 1,088.84 | 00 |
| 105- चीनी विकास निधि | 1,000.00 | 560.58 | 00 | 1,560.58 |
| 106- औद्योगिक विकास निधि | 3,022.38 | 00 | 1,800.00 | 1,222.38 |
| 109- सहकारी विकास निधि | 4.78 | 00 | 4.77 | 0.01 |
| 200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि | (-) 1,45,913.40 | 4,00,000.00 | 1,93,597.80 | 60,488.80 |
| 8235- आरक्षित निधि | 30,639.97 | 4,11,206.30 | 4,00,740.29 | 41,105.98 |
| 101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां | 349.50 | 292.41 | (-) 735.56 | 1,377.47 |
| 102- जमींदारी उन्मूलन निधि | 707.78 | 00 | 707.78 | 0.00 |
| 103- धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि | 33.79 | 00 | 00 | 33.79 |
| 105- सामान्य बीमा निधि | 27.78 | 00 | 27.78 | 00 |
| 107- इथाइल अल्कोहल भण्डारण सुविधा निधि | 00 | 0.52 | 00 | 0.52 |
| 111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि | 19,556.57 | 4,06,725.51 | 3,99,841.60 | 26,440.48 |
| 200- अन्य निधियां | 9,964.55 | 4,187.86 | 898.69 | 13,253.72 |
| कुल | 41,22,901.30 | 15,59,887.97 | 13,03,835.11 | 43,78,954.16 |
| कुल | 41,18,459.73 | 15,59,887.97 | 13,03,835.11 | 43,74,512.59 |

| fooj.k | ikjFEHkd 'ks'k | ikflr | lforj.k | vflure 'ks'k |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2016-17 | | | | |
| vkjfk{kr fuf/k; k; | | | | |
| C; kt l fgr vkjfk{kr fuf/k; k; | | | | |
| 8115- eM; àkl @uohdj .k vkjfk{kr fuf/k | (-) 4,441.57 | 00 | 00 | (-) 4,441.57 |
| 105- मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता | (-) 4,441.57 | 00 | 00 | (-) 4,441.57 |
| 8121- l kekl; , oa vU; vkjfk{kr fuf/k; ka | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 102- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि | 6.19 | 00 | 00 | 6.19 |
| 111- आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत | (-) 6.19 | 00 | 00 | (-) 6.19 |
| ; ksX | (-) 4,441.57 | 00 | 00 | (-) 4,441.57 |
| C; kt jfgr vkjfk{kr fuf/k; ka | | | | |
| 8222- fl fcdx Q.M | 43,03,264.53 | 10,77,235.00 | 4,14,560.80 | 49,65,938.73 |
| 01- ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन | 43,03,264.53 | 10,77,235.00 | 4,14,560.80 | 49,65,938.73 |
| 101- सिंकिंग फण्ड | | | | |
| 8223- vdky jkgr fuf/k | (-) 78.01 | 0 | 00 | (-) 78.01 |
| 102- अकाल राहत निधि-निवेश लेखा | (-) 78.01 | 0 | 00 | (-) 78.01 |
| 8225- l Mel; , oa l rj fuf/k | (-) 32,146.49 | 4,40,000.00 | 4,40,000.00 | (-) 32,146.49 |
| 101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि | (-) 32,146.49 | 4,40,000.00 | 4,40,000.00 | (-) 32,146.49 |
| 8226- eM; àkl @uohdj .k vkjfk{kr fuf/k | (-) 799.03 | 00 | 00 | (-) 799.03 |
| 102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि | (-) 799.03 | 00 | 00 | (-) 799.03 |
| 8229- fodkl , oa dY; k.k fuf/k | 67,607.18 | 2,50,000.00 | 2,28,775.63 | 88,831.55 |
| 101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि | 4,335.41 | 00 | 00 | 4,335.41 |
| 105- चीनी विकास निधि | 1,560.58 | 00 | 00 | 1,560.58 |
| 106- औद्योगिक विकास निधि | 1,222.38 | 00 | 00 | 1,222.38 |
| 109- सहकारी विकास निधि | 0.01 | 00 | 00 | 0.01 |
| 200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि | 60,488.80 | 2,50,000.00 | 2,28,775.63 | 81,713.17 |
| 8235- l kekl; , oa vU; vkjfk{kr fuf/k; ka | 41,105.98 | 2,33,344.64 | 1,94,740.64 | 79,709.98 |
| 101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां | 1,377.47 | 50,89.33 | 00 | 6,466.80 |
| 103- धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि | 33.79 | 0.03 | 00 | 33.82 |
| 107- इथाइल अल्कोहल भण्डारण सुविधा निधि | 0.52 | (-)0.52 | 00 | 00 |
| 111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि | 26,440.48 | 2,28,255.80 | 1,93,483.67 | 61,212.61 |
| 200- अन्य निधियां | 13,253.72 | 00 | 1,256.97 | 11,996.75 |
| ; ksX | 43,78,954.16 | 20,00,579.64 | 12,78,077.07 | 51,01,456.73 |
| egk; ksX | 43,74,512.59 | 20,00,579.64 | 12,78,077.07 | 50,97,015.16 |
| 2017-18 | | | | |
| vkjfk{kr fuf/k; k; | | | | |
| C; kt l fgr vkjfk{kr fuf/k; k; | | | | |
| 8115- eM; àkl @uohdj .k vkjfk{kr fuf/k | (-) 4,441.57 | 00 | 00 | (-) 4,441.57 |
| 103- मूल्यहास/आरक्षित निधि-सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 105- मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता | (-) 4,441.57 | 00 | 00 | (-) 4,441.57 |
| 8121- l kekl; , oa vU; vkjfk{kr fuf/k; ka | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 102- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि | (-) 6.19 | 00 | (-) 6.19 | 00 |
| 111- आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत | 6.19 | 00 | 6.19 | 00 |
| ; ksX | (-) 4,441.57 | 00 | 00 | (-) 4,441.57 |

| fooj.k | i kj fEHkd 'k'sk | i kfIr | l forj.k | vflure 'k'sk |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| C; kt jfgr vkj f{kr fuf/k; ka | | | | |
| 8222- fl fdax Q.M | 49,65,938.73 | 12,23,222.60 | 4,42,200.00 | 57,46,961.33 |
| 01- ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन | 49,65,938.73 | 12,23,222.60 | 4,42,200.00 | 57,46,961.33 |
| 101- सिंकिंग फण्ड | | | | |
| 8223- vdky jkgr fuf/k | (-) 78.01 | 00 | 00 | (-) 78.01 |
| 102- अकाल राहत निधि-निवेश लेखा | (-) 78.01 | 00 | 00 | (-) 78.01 |
| 8225- l Meda , oa l r q fuf/k | (-) 32,146.49 | 2,00,000.00 | 2,00,000.00 | (-) 32,146.49 |
| 101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि | (-) 32,146.49 | 2,00,000.00 | 2,00,000.00 | (-) 32,146.49 |
| 8226- eM; ækl @uohdj .k vkj f{kr fuf/k | (-) 799.03 | 00 | 00 | (-) 799.03 |
| 102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि | (-) 799.03 | 00 | 00 | (-) 799.03 |
| 8229- fodkl , oa dY; k.k fuf/k | 88,831.55 | 21,844.32 | 14,395.46 | 96,280.41 |
| 101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि | 4,335.41 | 00 | 00 | 4,335.41 |
| 105- चीनी विकास निधि | 1,560.58 | (-)1,000.00 | 560.58 | 00 |
| 106- औद्योगिक विकास निधि | 1,222.38 | (-)47.63 | 00 | 1,174.75 |
| 109- सहकारी विकास निधि | 0.01 | 00 | 00 | 0.01 |
| 200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि | 81,713.17 | 22,891.95 | 13,834.88 | 90,770.24 |
| 8235- l kekl; , oa vL; vkj f{kr fuf/k; ka | 79,709.98 | 81,686.03 | 43,685.91 | 1,17,710.10 |
| 101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां | 6,466.80 | (-)4,285.27 | 00 | 2,181.53 |
| 103- धार्मिक तथा पूत न्यास निधि | 33.82 | (-)33.82 | 00 | 00 |
| 111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि | 61,212.61 | 81,063.27 | 41,280.89 | 1,00,994.99 |
| 200- अन्य निधियां | 11,996.75 | 4,941.85 | 2,405.02 | 14,533.58 |
| ; ksx | 51,01,456.73 | 15,26,752.95 | 7,00,281.37 | 59,27,928.31 |
| egk; ksx | 50,97,015.16 | 15,26,752.95 | 7,00,281.37 | 59,23,486.74 |

i f j f' k"V 2.1

vf/kd 0; ; ds fofu; ferhdj .k dh vko' ; drk

(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.1 पृष्ठ 38)

¼v½ o"kz 2017-18 e; 0; ; kf/kD; ds fofu; ferhdj .k dh vko' ; drk

(₹ yk[k e])

| Ø0 l 0 | vupku@fofu; ksx dh l a[; k , oa uke | dy vupku@ fofu; ksx | 0; ; | 0; ; kf/kD; | o"kz ds nksj ku fuf/k; ka dk l ek; kst u | 0; ; kf/kD; ds fofu; ferhdj .k dh vko' ; drk |
|----------------|--|---------------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| jktLo&दत्तमत | | | | | | |
| 1. | 62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन) | 36,63,572.63 | 37,94,682.23 | 1,31,109.60 | 00 | 1,31,109.60 |
| | ; ksx | 36,63,572.63 | 37,94,682.23 | 1,31,109.60 | 00 | 1,31,109.60 |
| jktLo &Hkkfjr | | | | | | |
| 2. | 91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) | 0.03 | 0.33 | 0.30 | 00 | 0.30 |
| | ; ksx | 0.03 | 0.33 | 0.30 | 00 | 0.30 |
| i wthxr&दत्तमत | | | | | | |
| 3. | 55-लोक निर्माण विभाग (भवन) | 4,281.07 | 7,183.16 | 2,902.09 | 391.04 | 2,511.05 |
| | ; ksx | 4,281.07 | 7,183.16 | 2,902.09 | 391.04 | 2,511.05 |
| i wthxr&Hkkfjr | | | | | | |
| 4. | 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) | 500.00 | 595.76 | 95.76 | 00 | 95.76 |
| | ; ksx | 500.00 | 595.76 | 95.76 | 00 | 95.76 |
| | egk; ksx | 36,68,353.73 | 38,02,461.48 | 1,34,107.75 | 391.04 | 1,33,716.71 |

(स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2017-18)

वर्ष 2005-06 से 2016-17 तक के विनियोगों के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | वर्ष | विवरण | राजस्व दत्तमत - पूंजीगत दत्तमत - राजस्व भारित - पूंजीगत भारित | कुल |
|---------|---------|-------------------------|---|------------------|
| 1. | 2005-06 | 23-अनुदान 4-विनियोग | राजस्व दत्तमत - 8,12,53,55,57,58,72; पूंजीगत दत्तमत -15,16,18,23, 33, 34,37,38,40, 55,56, 57,58,73,75,96; राजस्व भारित -1,52; पूंजीगत भारित -52,55; | 869.05 |
| 2. | 2006-07 | 18-अनुदान 6-विनियोग | राजस्व दत्तमत-9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूंजीगत दत्तमत-3,16,31, 37, 55,57,58,89,96; राजस्व भारित-2,3,10,52,62,89; | 2,484.47 |
| 3. | 2007-08 | 12-अनुदान 2-विनियोग | राजस्व दत्तमत-51,55,57,58,62; पूंजीगत दत्तमत-13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित-51,66 | 3,610.65 |
| 4. | 2008-09 | 5-अनुदान 1- विनियोग | राजस्व दत्तमत-62,96; पूंजीगत दत्तमत-55,58,96; राजस्व भारित-52; | 3,399.42 |
| 5. | 2009-10 | 6-अनुदान 6- विनियोग | राजस्व दत्तमत-58; पूंजीगत दत्तमत-1,16,55,58,59; राजस्व भारित-3,10,16,48,52,66; | 1,250.16 |
| 6. | 2010-11 | 6-अनुदान 4- विनियोग | राजस्व दत्तमत-30,51,91; पूंजीगत दत्तमत-10,55,58; राजस्व भारित-10,23,61,82; | 1,702.62 |
| 7. | 2011-12 | 6-अनुदान 6- विनियोग | राजस्व दत्तमत-21,62,91; पूंजीगत दत्तमत-1,55,58; राजस्व भारित-13,18,23,61,62,82; | 1,889.66 |
| 8. | 2012-13 | 4-अनुदान 3- विनियोग | राजस्व दत्तमत-51,57; पूंजीगत दत्तमत-55,58; राजस्व भारित-55,62,89; | 2,380.23 |
| 9. | 2013-14 | 2-अनुदान 1-विनियोग | पूंजीगत दत्तमत- 55, 58; पूंजीगत भारित- 52; | 2,608.18 |
| 10. | 2014-15 | 7- अनुदान 1- विनियोग | राजस्व दत्तमत-57,91; पूंजीगत दत्तमत-1,40,55,57,58; राजस्व भारित-13; | 2,225.32 |
| 11. | 2015-16 | 4- अनुदान 4- विनियोग | पूंजीगत दत्तमत-55,57,58,87; राजस्व भारित-2,23,52,62; | 1,566.71 |
| 12. | 2016-17 | 3- अनुदान 2- विनियोग | पूंजीगत दत्तमत - 55,58,87; राजस्व भारित - 89; पूंजीगत भारित - 61; | 5,662.17 |
| कुल | | | | 29,648.64 |

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

i f j f' k"V 2.2

₹100 dj kM+ ; k ml l s vf/kd dh cpr okys vupku@fofu; kx dk foj . k

(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.2 पृष्ठ 39)

(₹ dj kM+e)

| क्र.सं. | व.सं. | व.सं. व.सं. का नाम | व.सं. व.सं. का नाम | | | कुल | प्रति |
|-------------|-------|--|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | व.सं. | व.सं. | व.सं. | | |
| ज.सं. व.सं. | | | | | | | |
| 1. | 02 | आवास विभाग | 837.95 | 1.36 | 839.31 | 385.94 | 453.37 |
| 2. | 07 | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | 1,133.01 | 11.83 | 1,144.84 | 565.42 | 579.42 |
| 3. | 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 36,042.29 | 34.43 | 36,076.72 | 21,443.46 | 14,633.26 |
| 4. | 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 2,775.08 | 23.55 | 2,798.63 | 2,225.44 | 573.19 |
| 5. | 14 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | 12,054.78 | 1,215.39 | 13,270.17 | 12,189.28 | 1,080.89 |
| 6. | 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) | 1,297.46 | 17.02 | 1,314.48 | 1,099.93 | 214.55 |
| 7. | 21 | खाद्य एवं रसद विभाग | 433.26 | 21.30 | 454.56 | 343.19 | 111.37 |
| 8. | 26 | गृह विभाग (पुलिस) | 15,419.02 | 152.41 | 15,571.43 | 14,356.14 | 1,215.29 |
| 9. | 31 | चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) | 2,376.40 | 338.35 | 2,714.75 | 2,465.76 | 248.99 |
| 10. | 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) | 5,838.64 | 101.94 | 5,940.58 | 5,073.42 | 867.16 |
| 11. | 33 | चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) | 979.75 | 0.00 | 979.75 | 750.89 | 228.86 |
| 12. | 35 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | 4,887.04 | 291.59 | 5,178.63 | 4,320.49 | 858.14 |
| 13. | 36 | चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) | 667.06 | 11.85 | 678.91 | 578.79 | 100.12 |
| 14. | 37 | नगर विकास विभाग | 11,743.51 | 50.80 | 11,794.31 | 6,219.47 | 5,574.84 |
| 15. | 40 | नियोजन विभाग | 424.37 | 0.67 | 425.04 | 222.90 | 202.14 |
| 16. | 42 | न्याय विभाग | 1,981.73 | 3.00 | 1,984.73 | 1,502.67 | 482.06 |
| 17. | 48 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 2,127.88 | 74.00 | 2,201.88 | 1,113.69 | 1,088.19 |
| 18. | 49 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 6,157.45 | 248.70 | 6,406.15 | 4,158.23 | 2,247.92 |
| 19. | 50 | राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) | 932.25 | 0.00 | 932.25 | 786.50 | 145.75 |
| 20. | 51 | राजस्व विभाग (द्वैतीय आपदा के सम्बन्ध में राहत) | 1,564.79 | 0.00 | 1,564.79 | 747.93 | 816.86 |
| 21. | 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) | 3,403.34 | 0.66 | 3,404.00 | 2,987.54 | 416.46 |
| 22. | 54 | लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) | 2,332.73 | 1.70 | 2,334.43 | 1,337.82 | 996.61 |
| 23. | 60 | वन विभाग | 746.14 | 0.00 | 746.14 | 589.68 | 156.46 |
| 24. | 69 | व्यावसायिक शिक्षा विभाग | 687.30 | 0.00 | 687.30 | 501.99 | 185.31 |
| 25. | 71 | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | 49,788.58 | 401.85 | 50,190.43 | 32,696.66 | 17,493.77 |
| 26. | 72 | शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | 9,097.94 | 2.00 | 9,099.94 | 8,479.50 | 620.44 |
| 27. | 73 | शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) | 2,412.61 | 0.00 | 2,412.61 | 1,961.22 | 451.39 |
| 28. | 78 | सचिवालय प्रशासन विभाग | 964.32 | 25.65 | 989.97 | 718.65 | 271.32 |
| 29. | 79 | समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) | 1,970.59 | 362.51 | 2,333.10 | 2,116.24 | 216.86 |
| 30. | 80 | समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) | 4,334.51 | 74.77 | 4,409.28 | 3,706.48 | 702.80 |
| 31. | 81 | समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | 261.84 | 146.11 | 407.95 | 257.44 | 150.51 |
| 32. | 83 | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 17,094.91 | 697.83 | 17,792.74 | 12,219.00 | 5,573.74 |

| क्र.सं. | विवरण | वित्त | | | कुल | अन्य |
|---------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | आपूर्ति | व्यय | अनुदान | | |
| 33. | सिंचाई विभाग (निर्माण) | 3,209.11 | 100.00 | 3,309.11 | 3,146.72 | 162.39 |
| 34. | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | 4,032.60 | 1.00 | 4,033.60 | 3,332.19 | 701.41 |
| | | 2,10,010.24 | 4,412.27 | 2,14,422.51 | 1,54,600.67 | 59,821.84 |
| जिला विकास विभाग | | | | | | |
| 35. | ऊर्जा विभाग | 4,668.23 | 0.00 | 4,668.23 | 3,485.23 | 1,183.00 |
| 36. | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 40,441.89 | 0.00 | 40,441.89 | 37,574.49 | 2,867.40 |
| | | 45,110.12 | 0.00 | 45,110.12 | 41,059.72 | 4,050.40 |
| ग्रामीण विकास विभाग | | | | | | |
| 37. | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | 1,859.47 | 158.36 | 2,017.83 | 1,304.07 | 713.76 |
| 38. | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 610.43 | 0.00 | 610.43 | 312.69 | 297.74 |
| 39. | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 13,046.22 | 415.39 | 13,461.61 | 8,282.55 | 5,179.06 |
| 40. | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | 223.34 | 10.00 | 233.34 | 20.90 | 212.44 |
| 41. | खाद्य एवं रसद विभाग | 12,016.00 | 0.00 | 12,016.00 | 9,462.69 | 2,553.31 |
| 42. | गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | 691.10 | 249.92 | 941.02 | 560.60 | 380.42 |
| 43. | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) | 678.01 | 0.00 | 678.01 | 452.61 | 225.40 |
| 44. | नगर विकास विभाग | 1,445.50 | 100.00 | 1,545.50 | 1,029.62 | 515.88 |
| 45. | नियोजन विभाग | 934.10 | 35.99 | 970.09 | 615.77 | 354.32 |
| 46. | न्याय विभाग | 1,367.78 | 300.00 | 1,667.78 | 812.52 | 855.26 |
| 47. | पर्यटन विभाग | 2,431.00 | 3.00 | 2,434.00 | 399.16 | 2,034.84 |
| 48. | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 347.71 | 10.00 | 357.71 | 251.18 | 106.53 |
| 49. | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 196.01 | 0.00 | 196.01 | 67.16 | 128.85 |
| 50. | राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) | 317.15 | 0.00 | 317.15 | 151.09 | 166.06 |
| 51. | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) | 422.58 | 0.00 | 422.58 | 141.31 | 281.27 |
| 52. | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) | 10,571.75 | 519.40 | 11,091.15 | 6,528.62 | 4,562.53 |
| 53. | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 1,136.00 | 0.00 | 1,136.00 | 433.69 | 702.31 |
| 54. | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | 353.41 | 50.00 | 403.41 | 218.23 | 185.18 |
| 55. | शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | 289.49 | 0.00 | 289.49 | 122.24 | 167.25 |
| 56. | समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 5,570.18 | 1,393.88 | 6,964.06 | 5,326.72 | 1,637.34 |
| 57. | सिंचाई विभाग (निर्माण) | 3,710.71 | 140.67 | 3,851.38 | 3,275.42 | 575.96 |
| | | 58,217.94 | 3,386.61 | 61,604.55 | 39,768.84 | 21,835.71 |
| ग्रामीण विकास विभाग | | | | | | |
| 58. | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 21,909.08 | 0.00 | 21,909.08 | 14,935.56 | 6,973.52 |
| | | 21,909.08 | 0.00 | 21,909.08 | 14,935.56 | 6,973.52 |
| | | 3,35,247.38 | 7,798.88 | 3,43,046.26 | 2,50,364.79 | 92,681.47 |

i f j f' k"V 2.3
vuojr cpr okys vuonku
(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.2 पृष्ठ 39)

(₹ djkM+e)

| ØØ l d | vuonku l a[; k | vuonku dk uke | cpr dh jkf' k | | | | |
|----------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
| jktLo &nUker | | | | | | | |
| 1. | 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 596.10 | 425.39 | 438.74 | 828.58 | 14,633.26 |
| 2. | 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 201.09 | 399.75 | 208.61 | 302.86 | 573.19 |
| 3. | 26 | गृह विभाग (पुलिस) | 982.88 | 994.09 | 1,346.41 | 886.34 | 1,215.29 |
| 4. | 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) | 471.31 | 672.14 | 938.53 | 1,088.42 | 867.16 |
| 5. | 35 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | 169.95 | 210.71 | 1,404.12 | 1,263.58 | 858.14 |
| 6. | 36 | चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) | 112.61 | 190.08 | 244.50 | 281.31 | 100.12 |
| 7. | 37 | नगर विकास विभाग | 654.69 | 2,762.12 | 1,390.72 | 2,751.47 | 5,574.84 |
| 8. | 42 | न्याय विभाग | 223.31 | 330.65 | 329.12 | 432.26 | 482.06 |
| 9. | 48 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 201.19 | 815.40 | 852.81 | 973.77 | 1,088.19 |
| 10. | 49 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 271.58 | 370.04 | 1,058.88 | 1,106.73 | 2,247.92 |
| 11. | 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) | 202.58 | 337.40 | 456.79 | 599.42 | 416.46 |
| 12. | 54 | लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) | 1,041.27 | 1,265.68 | 1,384.03 | 1,778.37 | 996.61 |
| 13. | 69 | व्यावसायिक शिक्षा विभाग | 106.87 | 169.83 | 181.79 | 123.86 | 185.31 |
| 14. | 71 | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | 2,567.23 | 4,390.54 | 3,229.85 | 2,414.62 | 17,493.77 |
| 15. | 72 | शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | 874.11 | 787.75 | 918.15 | 394.06 | 620.44 |
| 16. | 73 | शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) | 348.28 | 422.39 | 278.80 | 460.29 | 451.39 |
| 17. | 80 | समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) | 437.65 | 1,612.85 | 667.45 | 386.58 | 702.80 |
| 18. | 83 | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 1,315.74 | 2,509.94 | 2,306.78 | 1,704.21 | 5,573.74 |
| 19. | 94 | सिंचाई विभाग (निर्माण) | 738.76 | 745.95 | 766.33 | 102.54 | 162.39 |
| 20. | 95 | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | 597.47 | 739.30 | 933.97 | 1,180.41 | 701.41 |
| ; kx | | | 12,114.67 | 20,152.00 | 19,336.38 | 19,059.68 | 54,944.49 |
| i wthxr &nUker | | | | | | | |
| 21. | 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 470.53 | 286.17 | 533.67 | 432.83 | 297.74 |
| 22. | 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 145.76 | 2,017.90 | 1,669.11 | 3,300.96 | 5,179.06 |
| 23. | 42 | न्याय विभाग | 336.17 | 153.89 | 241.77 | 581.42 | 855.26 |
| 24. | 48 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 148.22 | 640.44 | 635.44 | 345.00 | 106.53 |
| 25. | 72 | शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | 157.95 | 356.71 | 616.56 | 236.07 | 167.25 |
| 26. | 83 | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 524.04 | 1,634.76 | 1,357.70 | 2,477.98 | 1,637.34 |
| ; kx | | | 1,782.67 | 5,089.87 | 5,054.25 | 7,374.26 | 8,243.18 |
| egk; kx | | | 13,897.34 | 25,241.87 | 24,390.63 | 26,433.94 | 63,187.67 |

Annexure 2.4

Annexure 2.4
 Schedule of Expenditure
 (Annexure 2.2.3 Page 39)
 (सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.3 पृष्ठ 39)

(₹ in Lakhs)

| Sl. No. | Code | Description | Actual Expenditure | Approved Budget | Percentage | Actual Expenditure |
|--------------------------|------|--|--------------------|-----------------|------------|--------------------|
| Departmental Expenditure | | | | | | |
| 1. | 02 | आवास विभाग | 837.95 | 385.94 | 1.36 | 452.01 |
| 2. | 03 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | 201.16 | 189.14 | 67.21 | 12.02 |
| 3. | 04 | उद्योग विभाग (खाने एवं खनिज) | 37.19 | 31.06 | 1.21 | 6.13 |
| 4. | 05 | उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) | 97.70 | 82.29 | 7.50 | 15.41 |
| 5. | 07 | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | 1,133.01 | 565.42 | 11.83 | 567.59 |
| 6. | 10 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) | 402.56 | 376.13 | 43.01 | 26.43 |
| 7. | 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 36,042.29 | 21,443.46 | 34.43 | 14,598.83 |
| 8. | 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 2,775.08 | 2,225.44 | 23.55 | 549.64 |
| 9. | 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) | 1,297.46 | 1,099.93 | 17.02 | 197.53 |
| 10. | 21 | खाद्य एवं रसद विभाग | 433.26 | 343.19 | 21.30 | 90.07 |
| 11. | 22 | खेल विभाग | 91.15 | 89.47 | 1.16 | 1.68 |
| 12. | 25 | गृह विभाग (कारागार) | 667.57 | 612.23 | 7.00 | 55.34 |
| 13. | 26 | गृह विभाग (पुलिस) | 15,419.02 | 14,356.14 | 152.41 | 1,062.88 |
| 14. | 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) | 5,838.65 | 5,073.42 | 101.94 | 765.23 |
| 15. | 35 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | 4,887.04 | 4,320.49 | 291.59 | 566.55 |
| 16. | 36 | चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) | 667.06 | 578.79 | 11.85 | 88.27 |
| 17. | 37 | नगर विकास विभाग | 11,743.51 | 6,219.47 | 50.80 | 5,524.04 |
| 18. | 41 | निर्वाचन विभाग | 227.54 | 157.23 | 10.00 | 70.31 |
| 19. | 42 | न्याय विभाग | 1,981.73 | 1,502.67 | 3.00 | 479.06 |
| 20. | 43 | परिवहन विभाग | 264.80 | 236.55 | 1.48 | 28.25 |
| 21. | 48 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 2,127.88 | 1,113.69 | 74.00 | 1,014.19 |
| 22. | 49 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 6,157.45 | 4,158.23 | 248.69 | 1,999.22 |
| 23. | 54 | लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) | 2,332.73 | 1,337.82 | 1.70 | 994.91 |
| 24. | 59 | लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) | 209.34 | 190.90 | 1.31 | 18.44 |
| 25. | 71 | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | 49,788.58 | 32,696.66 | 401.85 | 17,091.92 |
| 26. | 72 | शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | 9,097.94 | 8,479.50 | 2.00 | 618.44 |
| 27. | 75 | शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) | 157.29 | 112.94 | 4.38 | 44.35 |
| 28. | 76 | श्रम विभाग (श्रम कल्याण) | 325.19 | 310.36 | 36.96 | 14.83 |
| 29. | 77 | श्रम विभाग (सेवायोजन) | 96.95 | 82.14 | 4.80 | 14.81 |

| क्र.सं. | विवरण | अनुसूचित जातियों का कल्याण | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) | संस्थागत वित्त विभाग | संस्कृति विभाग | सिंचाई विभाग (निर्माण) | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | कुल |
|--------------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----|
| 30. | सचिवालय प्रशासन विभाग | 964.32 | 718.65 | 25.65 | 245.67 | | | | |
| 31. | समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) | 4,334.51 | 3,706.48 | 74.78 | 628.03 | | | | |
| 32. | समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | 261.84 | 257.44 | 146.11 | 4.40 | | | | |
| 33. | सतर्कता विभाग | 52.67 | 50.14 | 1.52 | 2.53 | | | | |
| 34. | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 17,094.91 | 12,219.00 | 697.83 | 4,875.91 | | | | |
| 35. | संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) | 814.10 | 745.41 | 3.04 | 68.69 | | | | |
| 36. | संस्थागत वित्त विभाग | 48.82 | 46.27 | 1.33 | 2.55 | | | | |
| 37. | संस्कृति विभाग | 75.53 | 55.64 | 3.00 | 19.89 | | | | |
| 38. | सिंचाई विभाग (निर्माण) | 3,209.11 | 3,146.72 | 100.00 | 62.39 | | | | |
| 39. | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | 4,032.60 | 3,332.19 | 1.00 | 700.41 | | | | |
| | | 1,86,227.49 | 1,32,648.64 | 2,689.60 | 53,578.85 | | | | |
| उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | | | | | | | | | |
| 40. | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | 1,859.47 | 1,304.07 | 158.36 | 555.40 | | | | |
| 41. | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 13,046.22 | 8,282.55 | 415.39 | 4,763.67 | | | | |
| 42. | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | 223.34 | 20.90 | 10.00 | 202.44 | | | | |
| 43. | गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | 691.10 | 560.60 | 249.92 | 130.50 | | | | |
| 44. | गृह विभाग (कारागार) | 235.97 | 208.41 | 2.42 | 27.56 | | | | |
| 45. | गृह विभाग (पुलिस) | 696.17 | 636.42 | 12.46 | 59.75 | | | | |
| 46. | नगर विकास विभाग | 1,445.50 | 1,029.62 | 100.00 | 415.88 | | | | |
| 47. | नियोजन विभाग | 934.10 | 615.77 | 35.99 | 318.33 | | | | |
| 48. | न्याय विभाग | 1,367.78 | 812.52 | 300.00 | 555.26 | | | | |
| 49. | परिवहन विभाग | 130.05 | 105.22 | 1.83 | 24.83 | | | | |
| 50. | पर्यटन विभाग | 2,431.00 | 399.16 | 3.00 | 2,031.84 | | | | |
| 51. | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 347.71 | 251.18 | 10.00 | 96.53 | | | | |
| 52. | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) | 10,571.75 | 6,528.62 | 519.40 | 4,043.13 | | | | |
| 53. | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | 353.41 | 218.23 | 50.00 | 135.18 | | | | |
| 54. | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 5,570.18 | 5,326.72 | 1,393.88 | 243.46 | | | | |
| 55. | संस्कृति विभाग | 59.73 | 44.25 | 5.12 | 15.48 | | | | |
| 56. | सिंचाई विभाग (निर्माण) | 3,710.71 | 3,275.42 | 140.67 | 435.29 | | | | |
| | | 43,674.19 | 29,619.66 | 3,408.44 | 14,054.53 | | | | |
| | | 2,29,901.68 | 1,62,268.30 | 6,098.04 | 67,633.38 | | | | |

Table 2.5
वित्त विभाग (संयोजित)
(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.4 पृष्ठ 40)

(₹ करोड़)

| क्र.सं. | वर्ष | विवरण | आवक | व्यय | शेष |
|---------|------|---|----------------|----------|----------|
| 1. | 08 | उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) | 2058-103-03 | 45.00 | 719.50 |
| 2. | | | 2058-001-03 | 800.00 | 152.41 |
| 3. | 10 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) | 2401-119-01 | 2,254.90 | 64.22 |
| 4. | | | 2401-119-03 | 4.67 | 0.10 |
| 5. | | | 2406-02-112-03 | 246.53 | 188.88 |
| 6. | | | 2415-80-004-07 | 64.22 | 57.73 |
| 7. | | | 2851-107-11 | 75.00 | 2.40 |
| 8. | | | 4401-103-03 | 67.56 | 0.10 |
| 9. | 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 2401-001-03 | 10.00 | 0.00 |
| 10. | | | 2401-001-05 | 5.00 | 47.79 |
| 11. | | | 2401-103-03 | 1,400.00 | 246.36 |
| 12. | | | 2401-109-03 | 7,360.27 | 368.48 |
| 13. | | | 2402-102-02 | 1,000.00 | 35.25 |
| 14. | | | 2402-102-03 | 4,600.67 | 25.42 |
| 15. | | | 2402-103-09 | 2,400.00 | 23.18 |
| 16. | 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 2515-001-04 | 2.43 | 0.22 |
| 17. | | | 2515-102-03 | 1,907.65 | 98.11 |
| 18. | | | 2515-102-06 | 912.96 | 1.23 |
| 19. | | | 2515-102-09 | 5.72 | 0.31 |
| 20. | 14 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | 2070-800-03 | 114.83 | 4.57 |
| 21. | 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) | 2403-001-03 | 200.00 | 31.45 |
| 22. | | | 2403-101-06 | 342.38 | 9.79 |
| 23. | | | 4403-101-08 | 9.43 | 16.61 |
| 24. | 17 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) | 2405-800-03 | 14.90 | 1,874.14 |
| 25. | | | 2405-800-05 | 3.00 | 0.82 |
| 26. | 18 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) | 2425-001-04 | 52.25 | 0.74 |
| 27. | 25 | गृह विभाग (कारागार) | 2056-800-03 | 7.53 | 15.17 |
| 28. | 28 | गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) | 2235-60-800-03 | 1,100.00 | 567.68 |
| 29. | | | 2251-200-03 | 43.00 | 38.03 |
| 30. | 31 | चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) | 2210-01-110-15 | 19.38 | 255.18 |
| 31. | | | 2210-05-105-03 | 188.96 | 185.28 |
| 32. | | | 4210-03-43 | 1,393.00 | 181.60 |
| 33. | 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) | 2210-03-110-10 | 9,571.56 | 3,111.89 |
| 34. | | | 2210-01-110-04 | 6,500.00 | 3,471.02 |
| 35. | | | 4210-02-104-11 | 70.77 | 57.27 |
| 36. | | | 4210-02-104-03 | 1,840.43 | 1,166.34 |
| 37. | 33 | चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) | 2210-05-101-03 | 90.00 | 312.29 |

| Ø0 l 0 | vupku l a[; k | vupku dk uke | ys[kk ' kh"l | i qfofu; ksx | vkf/kD; | Ckpr (-) |
|-----------|------------------|--|----------------|--------------|-----------|-----------|
| 38. | 34 | चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी) | 2210-05-102-03 | 716.16 | 0.00 | 129.68 |
| 39. | 37 | नगर विकास विभाग | 2015-800-04 | 700.00 | 0.00 | 168.76 |
| 40. | | | 2053-094-03 | 813.50 | 0.00 | 10.66 |
| 41. | 40 | नियोजन विभाग | 3454-02-001-03 | 7.86 | 0.00 | 689.31 |
| 42. | | | 3451-092-05 | 6.00 | 6.67 | 0.00 |
| 43. | | | 4215-01-102-03 | 28,155.17 | 4,000.00 | 0.00 |
| 44. | | | 4575-02-800-04 | 400.00 | 34.65 | 0.00 |
| 45. | | | 4575-06-800-03 | 13.79 | 10.15 | 0.00 |
| 46. | 41 | निर्वाचन विभाग | 2015-103-05 | 103.29 | 0.00 | 650.43 |
| 47. | | | 2015-106-03 | 50.49 | 0.00 | 2,822.80 |
| 48. | | | 2015-105-03 | 155.27 | 0.00 | 19.25 |
| 49. | | | 2015-105-04 | 95.47 | 0.00 | 74.39 |
| 50. | | | 2015-106-04 | 27.52 | 0.18 | 0.00 |
| 51. | | | 2015-106-06 | 3.44 | 0.00 | 0.06 |
| 52. | 42 | न्याय विभाग | 2014-105-03 | 1,120.00 | 0.00 | 21,744.99 |
| 53. | | | 2014-114-04 | 873.95 | 0.00 | 949.62 |
| 54. | | | 2014-114-03 | 40.00 | 324.57 | 0.00 |
| 55. | | | 2014-800-03 | 360.23 | 4.37 | 0.00 |
| 56. | | | 2235-60-200-04 | 100.00 | 61.37 | 0.00 |
| 57. | | | 2014-102-05 | 307.80 | 0.00 | 148.19 |
| 58. | | | 4216-01-700-10 | 1,653.92 | 0.00 | 808.00 |
| 59. | 43 | परिवहन विभाग | 4059-01-051-07 | 14.16 | 0.00 | 14.16 |
| 60. | | | 4059-80-800-01 | 497.76 | 0.00 | 9.44 |
| 61. | 44 | पर्यटन विभाग | 3452-80-104-03 | 6.00 | 0.00 | 124.99 |
| 62. | | | 3452-80-104-08 | 105.00 | 0.00 | 21.08 |
| 63. | | | 3452-80-800-03 | 550.00 | 6.54 | 0.00 |
| 64. | | | 3452-80-800-04 | 20.00 | 0.00 | 0.13 |
| 65. | | | 5452-80-104-06 | 280.47 | 0.00 | 6.82 |
| 66. | 47 | प्राविधिक शिक्षा विभाग | 2203-001-03 | 3.50 | 8.37 | 0.00 |
| 67. | | | 2203-001-04 | 54.86 | 0.73 | 0.00 |
| 68. | | | 2203-105-04 | 252.69 | 0.00 | 8.40 |
| 69. | 48 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 2070-001-03 | 26.50 | 1.09 | 0.00 |
| 70. | | | 2070-001-04 | 110.00 | 0.00 | 13.79 |
| 71. | 49 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 2235-02-103-01 | 400.32 | 0.00 | 476.84 |
| 72. | | | 2235-02-103-02 | 1,510.85 | 62.94 | 0.00 |
| 73. | | | 2235-190-06 | 49.21 | 0.00 | 1.37 |
| 74. | 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) | 2052-099-03 | 48.75 | 0.00 | 326.23 |
| 75. | | | 2235-60-110-05 | 300.00 | 11,482.97 | 0.00 |
| 76. | 55 | लोक निर्माण विभाग (भवन) | 4059-80-051-18 | 1,200.00 | 118.85 | 0.00 |
| 77. | 57 | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) | 3054-04-800-03 | 400.00 | 205.97 | 0.00 |
| 78. | 58 | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) | 5054-80-800-05 | 800.05 | 13.14 | 0.00 |

| क्र.सं. | विवरण | विवरण | विवरण | विवरण | विवरण | विवरण |
|---------|----------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|----------|
| 79. | 59 | लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) | 2013-800-03 | 3.68 | 0.00 | 156.15 |
| 80. | | | 2052-090-03 | 234.99 | 0.00 | 1,249.55 |
| 81. | | | 2059-01-053-08 | 4.06 | 0.00 | 4.06 |
| 82. | | | 2059-60-053-03 | 41.50 | 0.00 | 39.14 |
| 83. | | | 2059-01-053-09 | 286.82 | 0.00 | 9.55 |
| 84. | | | 2059-60-053-04 | 67.07 | 0.00 | 1.42 |
| 85. | | | 2216-01-700-09 | 53.96 | 332.19 | 0.00 |
| 86. | 60 | वन विभाग | 4406-01-102-10 | 446.77 | 0.00 | 446.77 |
| 87. | | | 4406-01-102-12 | 660.00 | 0.00 | 211.24 |
| 88. | | | 4406-02-110-01 | 33.25 | 230.35 | 0.00 |
| 89. | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 2049-01-123-04 | 26,184.57 | 0.03 | 0.00 |
| 90. | | | 2049-01-305-03 | 203.01 | 25.35 | 0.00 |
| 91. | 68 | विधान सभा सचिवालय | 2011-02-103-03 | 166.23 | 0.02 | 0.00 |
| 92. | 71 | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | 2202-01-102-23 | 9,936.00 | 25.20 | 0.00 |
| 93. | | | 2202-01-102-31 | 1,863.58 | 0.00 | 14.54 |
| 94. | | | 2202-01-104-03 | 1,180.00 | 0.00 | 12.11 |
| 95. | | | 2202-01-112-04 | 16,683.34 | 0.00 | 180.20 |
| 96. | | | 2202-800-04 | 11,920.00 | 0.00 | 392.45 |
| 97. | | | 72 | शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | 2202-02-109-03 | 154.90 |
| 98. | 2202-02-800-22 | 20.61 | | | 0.00 | 20.61 |
| 99. | 2202-05-103-05 | 200.00 | | | 172.49 | 0.00 |
| 100. | 2071-01-109-03 | 113.00 | | | 329.76 | 0.00 |
| 101. | 2071-01-117-03 | 710.00 | | | 5,623.28 | 0.00 |
| 102. | 2202-01-102-04 | 2,200.00 | | | 0.00 | 921.46 |
| 103. | 2202-02-101-03 | 1,500.00 | | | 802.33 | 0.00 |
| 104. | 2202-02-108-03 | 2,919.00 | | | 1,509.12 | 0.00 |
| 105. | 2204-102-04 | 898.72 | | | 112.11 | 0.00 |
| 106. | 73 | शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) | | | 2202-03-001-04 | 39.10 |
| 107. | | | 2202-03-104-13 | 1,000.00 | 0.00 | 501.33 |
| 108. | | | 4202-01-203-04 | 100.00 | 200.00 | 0.00 |
| 109. | 74 | गृह विभाग (होमगार्ड्स) | 2070-107-04 | 22.00 | 0.00 | 782.65 |
| 110. | | | 2070-107-03 | 165.50 | 7.47 | 0.00 |
| 111. | | | 2070-107-06 | 374.29 | 0.00 | 20.89 |
| 112. | | | 2070-107-08 | 200.89 | 0.00 | 59.80 |
| 113. | 75 | शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) | 2202-80-003-01 | 10.18 | 0.00 | 4,519.72 |
| 114. | | | 2202-80-800-03 | 14.50 | 0.00 | 14.51 |
| 115. | | | 2202-80-004-03 | 28.85 | 0.00 | 8.40 |
| 116. | 76 | श्रम विभाग (श्रम कल्याण) | 2210-01-102-03 | 7.62 | 0.00 | 114.39 |
| 117. | 78 | सचिवालय प्रशासन विभाग | 2052-090-03 | 0.15 | 594.12 | 0.00 |
| 118. | | | 2052-090-11 | 45.00 | 0.00 | 32.59 |
| 119. | | | 2220-60-800-03 | 85.00 | 0.41 | 0.00 |

| Ø0 l 0 | vupku l a[; k | vupku dk uke | ys[kk ' kh"lz | i qfofu; ksx | vkf/kD; | Ckpr (-) |
|-----------|------------------|--|----------------|--------------|-----------|-----------|
| 120. | 79 | समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) | 2225-03-277-01 | 563.00 | 0.00 | 16,462.49 |
| 121. | | | 2235-02-101-14 | 138.08 | 33.67 | 0.00 |
| 122. | | | 2235-02-101-03 | 598.57 | 5.24 | 0.00 |
| 123. | | | 4235-02-101-05 | 879.35 | 330.41 | 0.00 |
| 124. | 80 | समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) | 2235-02-200-09 | 84.98 | 0.00 | 83.79 |
| 125. | 83 | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 2402-789-03 | 278.33 | 0.00 | 0.01 |
| 126. | | | 4801-06-789-07 | 10,112.00 | 52,611.60 | 0.00 |
| 127. | 86 | सूचना विभाग | 2220-60-106-03 | 36.00 | 0.00 | 345.59 |
| 128. | 87 | सैनिक कल्याण विभाग | 2235-60-200-03 | 33.00 | 0.00 | 480.76 |
| 129. | | | 2235-60-200-06 | 7.00 | 0.11 | 0.00 |
| 130. | 88 | संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) | 2052-091-03 | 35.00 | 0.00 | 60.47 |
| 131. | 89 | संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) | 2040-800-03 | 108.00 | 85.73 | 0.00 |
| 132. | | | 2040-800-05 | 13.22 | 3.64 | 0.00 |
| 133. | 91 | संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) | 2030-03-001-03 | 283.00 | 0.00 | 538.81 |
| 134. | | | 2030-03-001-04 | 177.00 | 0.00 | 1,084.01 |
| 135. | 94 | सिंचाई विभाग (निर्माण) | 2700-04-101-03 | 181.39 | 0.00 | 142.35 |
| 136. | | | 2700-06-101-03 | 68.16 | 0.00 | 205.82 |
| 137. | | | 2700-08-101-03 | 184.50 | 0.00 | 267.68 |
| 138. | | | 2700-10-101-03 | 92.98 | 0.00 | 103.31 |
| 139. | | | 2700-13-101-03 | 18.22 | 0.00 | 19.02 |
| 140. | | | 2701-06-101-03 | 6.80 | 0.00 | 6.64 |
| 141. | | | 2701-28-101-03 | 17.71 | 0.00 | 16.25 |
| 142. | | | 2701-33-101-03 | 3.10 | 0.00 | 24.85 |
| 143. | | | 2701-36-101-03 | 38.27 | 0.00 | 0.99 |
| 144. | | | 2711-03-103-03 | 189.91 | 0.00 | 230.90 |
| 145. | | | 2700-05-101-03 | 141.71 | 0.00 | 17.59 |
| 146. | | | 2700-14-101-03 | 30.00 | 0.00 | 0.09 |
| 147. | | | 2700-19-101-03 | 99.71 | 0.00 | 82.04 |
| 148. | | | 2701-05-101-03 | 30.49 | 0.00 | 26.12 |
| 149. | | | 2701-10-101-03 | 8.37 | 10.26 | 0.00 |
| 150. | | | 2701-26-101-03 | 44.71 | 0.00 | 1.74 |
| 151. | | | 2701-34-101-03 | 39.00 | 0.00 | 16.72 |
| 152. | | | 2701-38-101-03 | 10.50 | 0.00 | 1.62 |
| 153. | | | 2701-41-101-03 | 15.00 | 0.00 | 1.82 |
| 154. | | | 2701-44-101-03 | 11.00 | 0.00 | 1.33 |
| 155. | | | 2701-66-101-03 | 54.16 | 0.00 | 0.05 |
| 156. | | | 2701-68-101-03 | 33.16 | 0.00 | 0.70 |
| 157. | | | 2701-76-101-03 | 16.06 | 0.00 | 0.05 |
| 158. | | | 2702-03-101-03 | 24.99 | 0.00 | 13.00 |
| 159. | | | 4700-14-051-10 | 173.15 | 0.00 | 415.25 |
| 160. | | | 4702-101-04 | 216.00 | 0.00 | 441.65 |

| Ø0 l 0 | vupku l a[; k | vupku dk uke | ys[kk ' kh"kz | i qfofu; ksx | vkf/kD; | Ckpr (-) | |
|-----------|------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|
| 161. | | | 4702-102-03 | 526.00 | 0.00 | 1,247.81 | |
| 162. | | | 4711-01-103-06 | 113.24 | 0.00 | 1,396.46 | |
| 163. | | | 4700-04-051-10 | 566.40 | 0.00 | 195.27 | |
| 164. | | | 4700-14-051-11 | 1,565.00 | 0.00 | 964.92 | |
| 165. | | | 4700-19-051-10 | 2,650.00 | 184.33 | 0.00 | |
| 166. | | | 4700-20-051-10 | 2,500.00 | 921.76 | 0.00 | |
| 167. | | | 4700-97-051-10 | 4,500.00 | 28.01 | 0.00 | |
| 168. | | | 4701-60-051-10 | 3,288.00 | 0.00 | 251.00 | |
| 169. | | | 4701-67-051-10 | 600.17 | 0.00 | 390.79 | |
| 170. | | | 4701-78-051-10 | 550.48 | 0.00 | 0.07 | |
| 171. | | | 4701-81-051-10 | 249.18 | 1.27 | 0.00 | |
| 172. | | | 4701-93-051-16 | 414.72 | 0.00 | 0.01 | |
| 173. | | | 4711-01-103-03 | 417.53 | 0.00 | 124.31 | |
| 174. | | | 4711-01-103-08 | 11,051.64 | 0.00 | 1,328.06 | |
| 175. | | | 4711-01-103-09 | 2,766.59 | 0.00 | 994.32 | |
| 176. | 95 | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | 2701-02-001-05 | 100.00 | 0.00 | 68.89 | |
| 177. | | | 2701-02-001-08 | 100.00 | 0.00 | 55.19 | |
| 178. | | | 2701-80-800-03 | 17,500.00 | 0.00 | 2,505.26 | |
| | | | | ; ksx | 2,32,390.65 | 85,275.47 | 78,180.40 |

i f j f' k"V 2.6
Ok"kl 2017-18 e1 vR; f/kd /kuj kf' k; k1 dk vH; i Z k
 (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.5; पृष्ठ 40)

(₹ yk[k e)

| Ø0 l 0 | vupku l a[; k | vupku dk uke | ; kst uk dk uke kys[kk' kh"klz | i ko/kku | vH; fi r /kuj kf' k | vH; fi r /kuj kf' k kifr'kr e1 |
|-----------|------------------|---|---|-----------|------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 05 | उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) | 2851-105-18- पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना | 999.12 | 999.12 | 100 |
| 2. | 07 | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | 2852-80-800-06- न्यायालयों में वादों की पैरवी | 60.00 | 42.07 | 70 |
| 3. | | | 2852-80-800-08-पब्लिकप्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं तथा सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश | 405.00 | 405.00 | 100 |
| 4. | | | 2852-80-800-14- पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत रुग्ण इकाइयों को पुनर्वासन हेतु वैट/ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति | 20.00 | 20.00 | 100 |
| 5. | 09 | ऊर्जा विभाग | 6003-109-03- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु आर0ई0सी0 से प्राप्त ऋण का प्रतिदान | 4,520.21 | 3,857.12 | 85 |
| 6. | 10 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) | 2401-108-07- उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति- 2014 का क्रियान्वयन | 34.00 | 21.00 | 62 |
| 7. | | | 2401-119-03- नर्सरी | 3,169.22 | 2,360.39 | 74 |
| 8. | | | 2401-001-03- केन्द्रीय निदेशालय | 2.00 | 2.00 | 100 |
| 9. | 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 2401-109-08-कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग- | 3,919.69 | 2,291.91 | 58 |
| 10. | | | 2401-111-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 1176.98 | 783.47 | 67 |
| 11. | | | 2401-111-05- फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक | 761.68 | 530.27 | 70 |
| 12. | | | 2401-113-05-सोलर फोटोवैलेटिक इरिगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजना | 12,500.00 | 9,621.00 | 77 |
| 13. | | | 2401-800-04- सिंक्रलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजना | 1,041.60 | 537.13 | 52 |
| 14. | | | 2402-101-04- प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी-वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना | 219.89 | 123.80 | 56 |
| 15. | | | 2401-101-05- जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम | 406.00 | 406.00 | 100 |
| 16. | | | 2402-102-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 17,009.63 | 8,544.96 | 50 |
| 17. | | | 2402-103-06- मृदा में सूक्ष्म तत्व की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण | 500.00 | 494.35 | 99 |
| 18. | | | 2415-01-004-04- कृषि विश्वविद्यालयों में सेन्टर आफ एक्सीलेंस | 1,000.00 | 1,000.00 | 100 |
| 19. | | | 2415-80-120-23- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम | 9.75 | 9.75 | 100 |

| क्र.सं. | व्यय विवरण | व्यय विवरण | अनुमानित व्यय (₹) | अनुमानित व्यय (₹) | अनुमानित व्यय (₹) | |
|---------|------------|---|---|-------------------|-------------------|-----|
| 20. | | 2415-80-120-28- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना | 337.66 | 172.66 | 51 | |
| 21. | | 2415-80-120-30- उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार योजना | 5.00 | 5.00 | 100 | |
| 22. | | 4401-107-03- कीटनाशक औषधियों की खरीद की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है | 4,000.00 | 2,508.45 | 63 | |
| 23. | | 4401-107-04- विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण | 400.00 | 400.00 | 100 | |
| 24. | | 4401-190-02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के० 60ए रा० 40.के०+रा०) | 500.00 | 500.00 | 100 | |
| 25. | | 4401-800-02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के० 60ए रा० 40.के०+रा०) | 25,294.00 | 16,727.85 | 66 | |
| 26. | | 4402-102-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 1,645.05 | 1,645.05 | 100 | |
| 27. | | 4415-04-277-03- दुग्ध अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा | 50.00 | 50.00 | 100 | |
| 28. | | 4415-05-277-03- मत्स्य महाविद्यालय, इटावा | 50.00 | 50.00 | 100 | |
| 29. | 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 2515-102-17- वाटर ए०टी०एम० की स्थापना | 2,000.00 | 2,000.00 | 100 |
| 30. | | 2702-80-800-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 594.12 | 517.61 | 87 | |
| 31. | | 2702-80-800-10- जी० आई० एस० मैपिंग | 48.40 | 48.40 | 100 | |
| 32. | | 3054-04-105-03- उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण | 5,000.00 | 3,203.05 | 64 | |
| 33. | | 2515-001-03- विकास आयुक्त (मुख्यालय) | 10.00 | 5.26 | 53 | |
| 34. | | 2515-800-03- ग्रामीण अभियंत्रण सेवा | 7.50 | 7.00 | 93 | |
| 35. | | 4215-01-102-04- बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों (विन्ध्य क्षेत्र) हेतु सर्फेस सोर्स ग्राउण्ड वाटर आधारित ग्रामीण पेयजल योजना (के० 100 रा० 0 के०) | 2,21,200.00 | 2,21,200.00 | 100 | |
| 36. | | 4702-102-11- ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित) | 709.00 | 568.78 | 80 | |
| 37. | | 4702-800-12 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | 9,210.00 | 7,397.15 | 80 | |
| 38. | 14 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | 2070-800-04- ग्रामीण खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार तथा प्रशिक्षण | 5.00 | 5.00 | 100 |
| 39. | 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) | 2403-101-07- पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण | 391.80 | 229.68 | 59 |
| 40. | | 2403-103-02- राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम | 197.40 | 197.40 | 100 | |
| 41. | | 2403-106-02- राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम | 940.49 | 940.49 | 100 | |
| 42. | | 2403-107-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 32.42 | 32.42 | 100 | |

| क्र.सं. | व्युत्पत्ति | व्युत्पत्ति का उद्देश्य | प्रस्तावित कार्य/कार्यक्रम | अनुमानित व्यय (₹) | अनुमानित व्यय (₹) | अनुमानित व्यय (₹) |
|---------|-------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 43. | | | 2403-107-02-- राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम | 25.20 | 25.20 | 100 |
| 44. | | | 2403-104-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 14.66 | 14.66 | 100 |
| 45. | | | 2403-113-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 476.28 | 296.11 | 62 |
| 46. | | | 2403-001-03- निदेशालय | 13.79 | 13.79 | 100 |
| 47. | | | 4403-101-07- पशु सेवा केन्द्र / " द " श्रेणी पशु औषधालय (जिला योजना) | 200.00 | 108.71 | 54 |
| 48. | | | 4403-101-14- पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (आर0आई0डी0एफ0)(जिला योजना) | 4,627.50 | 2,355.79 | 51 |
| 49. | | | 4403-101-15- " द " श्रेणी पशु औषधालय का उच्चीकरण करते हुए पशु चिकित्सालय की स्थापना | 84.04 | 59.91 | 71 |
| 50. | | | 4403-107-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 42.85 | 42.85 | 100 |
| 51. | | | 4403-101-08- पशु चिकित्सालयों का निर्माण (आर0आई0डी0एफ0)(जिला योजना) | 4,028.00 | 2,090.39 | 52 |
| 52. | | | 4403-101-11- पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण | 50.00 | 39.08 | 78 |
| 53. | 21 | खाद्य एवं रसद विभाग | 4059-60-051-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 600.00 | 500.00 | 83 |
| 54. | 24 | गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | 6860-04-101-11- बन्द चीनी मिल मुण्डेरवा (बस्ती) में नई चीनी मिल एवं कोजनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी की स्थापना | 27,000.00 | 18,000.00 | 67 |
| 55. | | | 6860-04-101-12- बन्द चीनी मिल पिपरईच (गोरखपुर) में नई चीनी मिल एवं कोजनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी की स्थापना | 23,375.00 | 18,375.00 | 79 |
| 56. | 31 | चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) | 4210-03-105-11- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में महामारी आदि के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क (केन्द्र-100/राज्य-0) | 279.00 | 279.00 | 100 |
| 57. | | | 4210-03-105-12- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन विकास (केन्द्र-100/राज्य-0) | 500.00 | 500.00 | 100 |
| 58. | | | 4210-03-105-64- राजकीय मेडिकल कालेजों में गहन चिकित्सा कक्ष (आई.सी.यू.) की स्थापना | 22.51 | 22.51 | 100 |
| 59. | | | 4210-03-105-69- राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में नशा विमुक्ति केन्द्र | 11.00 | 11.00 | 100 |
| 60. | | | 6075-800-03- एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ में राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा के लिये रिवाल्विंग फंड | 100.00 | 100.00 | 100 |
| 61. | | | 4210-03-105-36- नेहरु चिकित्सालय, गोरखपुर | 3.50 | 2.96 | 85 |
| 62. | 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) | 2210-01-110-06- मंडल मुख्यालय पर डायलिसिस यूनिट की स्थापना | 1,000.00 | 920.11 | 92 |

| क्र.सं. | विवरण | विवरण | प्रस्तावित व्यय | अनुमानित व्यय | अनुमानित व्यय | |
|---------|-------|---------------------|---|---------------|---------------|-----|
| 63. | | | 2210-01-110-10- उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन | 500.00 | 483.67 | 97 |
| 64. | | | 2210-03-110-05- बी.एम.जी.एफ. के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढीकरण | 4,402.00 | 2,251.00 | 51 |
| 65. | | | 2210-80-800-06- आरोग्य निधि की स्थापना | 500.00 | 360.76 | 72 |
| 66. | | | 2210-80-800-09- विभागीय वेबसाइटों का संचालन | 500.00 | 500.00 | 100 |
| 67. | | | 2235-60-110-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 20,311.60 | 20,311.60 | 100 |
| 68. | | | 2210-01-001-03- निर्देशन | 20.00 | 13.57 | 68 |
| 69. | 37 | नगर विकास विभाग | 2215-01-101-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 1,900.00 | 1,900.00 | 100 |
| 70. | | | 2215-01-191-04- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय | 1,000.00 | 802.94 | 80 |
| 71. | | | 2215-02-106-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 1,500.00 | 1,500.00 | 100 |
| 72. | | | 2215-02-107-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 24,000.00 | 14,703.17 | 61 |
| 73. | | | 2215-02-107-04- फिरोजाबाद में जल निकासी हेतु व्यवस्था | 500.00 | 500.00 | 100 |
| 74. | | | 2217-05-051- 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 3,84,200.00 | 2,69,385.01 | 70 |
| 75. | | | 2217-05-191- 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 1,08,000.00 | 62,024.35 | 57 |
| 76. | | | 2217-05-192- 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 1,00,574.00 | 78,430.60 | 78 |
| 77. | | | 2217-05-800- 07- नगरीय परिवहन निदेशालय | 270.75 | 243.75 | 90 |
| 78. | | | 2217-80-191- 07- नगरीय झील, तालाब, पोखर संरक्षण योजना | 1,250.00 | 1,250.00 | 100 |
| 79. | | | 2217-80-800- 09 राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का डेडीकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड में अन्तरण | 37,500.00 | 37,500.00 | 100 |
| 80. | | | 2217-80-800- 12- शहरी यातायात विकास निधि | 6,052.93 | 6,052.93 | 100 |
| 81. | | | 2217-80-800- 14- सूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण की ब्याज अदायगी हेतु सहायता | 2,956.00 | 2,956.00 | 100 |
| 82. | | | 2230-02-101- 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 16,408.32 | 11,538.52 | 70 |
| 83. | | | 4216-02-800- 03- आसरा योजना (आवासीय भवन) | 15,000.00 | 11,487.14 | 77 |
| 84. | 38 | नागरिक उड्डयन विभाग | 3053-01-800-02- रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत वायलिटि गैप फण्डिंग | 500.00 | 500.00 | 100 |

| क्र.सं. | वर्ग | विवरण | प्रस्ताव संख्या | अनुमानित व्यय | अनुमानित व्यय | अनुमानित व्यय |
|---------|------|---|--|---------------|---------------|---------------|
| 85. | | | 5053-80-800-03- हेलीकाप्टर/वायुयान का क्रय | 200.00 | 200.00 | 100 |
| 86. | 40 | नियोजन विभाग | 2575-02-800-03- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएँ | 15,000.00 | 13,731.44 | 92 |
| 87. | | | 3425-60-004-03- इनोवेशन सेल की स्थापना | 30.00 | 27.10 | 90 |
| 88. | | | 3454-02-001- 04- स्टेट स्ट्रेटेजिक स्टेटिस्टिकल प्लान | 284.00 | 208.18 | 73 |
| 89. | | | 3454-02-800- 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 130.63 | 88.10 | 67 |
| 90. | | | 4575-02-800-03- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं | 30,000.00 | 30,000.00 | 100 |
| 91. | 47 | प्राविधिक शिक्षा विभाग | 4202-02-104-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 2,150.00 | 1,906.12 | 89 |
| 92. | 48 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 2070-001-06-रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उ.प्र. इलाहाबाद | 93.02 | 58.06 | 62 |
| 93. | | | 2070-800-03- उत्तर प्रदेश वकफ न्यायाधिकरण | 263.92 | 155.12 | 59 |
| 94. | | | 2071-01-117-03-सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिये | 1,000.00 | 1,000.00 | 100 |
| 95. | | | 2202-01-800-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं | 33,636.90 | 28,772.73 | 86 |
| 96. | | | 2202-02-800-12- राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना | 7.25 | 7.25 | 100 |
| 97. | | | 2225-80-800-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 60,751.43 | 60,751.43 | 100 |
| 98. | | | 2235-02-800-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 3,750.00 | 3,717.79 | 99 |
| 99. | 53 | राष्ट्रीय एकीकरण विभाग | 2070-800-06-राज्य एकीकरण परिषद् के उपाध्यक्ष को देय सुविधायें | 6.40 | 6.40 | 100 |
| 100. | | | 2070-800-08- महान विभूतियों के जन्म दिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन | 26.25 | 18.59 | 71 |
| 101. | | | 2070-800-09- जिला एकीकरण समितियों पर व्यय | 15.00 | 10.04 | 67 |
| 102. | | | 2070-800-11-गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार वितरण/समारोह के आयोजन आदि पर व्यय | 2.00 | 2.00 | 100 |
| 103. | | | 2070-800-13-अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन(नकद पुरस्कार)(राज्यांश 100 प्रतिशत) | 10.00 | 5.50 | 55 |
| 104. | 59 | लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) | 2013-800-06- मुख्यमंत्री आवास पर साज-सज्जा एवं अनुरक्षण | 505.00 | 402.93 | 80 |

| क्र.सं. | विवरण | विवरण | अनुदान संख्या | अनुदान राशि | अनुदान राशि | अनुदान राशि |
|---------|---|--|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 105. | 61 वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 2052-090-03-वित्त विभाग | 692.94 | 501.33 | 72 | |
| 106. | | 4070-800-03- परियोजनाओं के डी.पी.आर. पर होने वाला व्यय | 500.00 | 500.00 | 100 | |
| 107. | | 6075-800-03- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्तीय पुनर्गठन के लिये ऋण सहायता | 10,000.00 | 6,973.00 | 70 | |
| 108. | | 6003-101-04-गैर ब्याज बाजार कर्ज | 71.58 | 71.58 | 100 | |
| 109. | 62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन) | 6075-800-03-रूग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना हेतु कर्ज | 10,000.00 | 8,905.00 | 89 | |
| 110. | 68 विधान सभा सचिवालय | 2059-80-053-03- विधान सभा सचिवालय में अनावसीय भवनों की मरम्मत | 10.00 | 10.00 | 100 | |
| 111. | | 2011-02-101-03-विधान सभा | 143.20 | 79.92 | 56 | |
| 112. | | 7610-201-03-राज्य विधान सभा के सदस्यों/ भूतपूर्व सदस्यों को आवास हेतु ऋण | 20.00 | 20.00 | 100 | |
| 113. | | 7610-202-03-राज्य विधान सभा के सदस्यों/ भूतपूर्व सदस्यों को वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम | 20.00 | 20.00 | 100 | |
| 114. | 69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग | 2230-03-003-17-कौशल विकास मिशन के संचालन हेतु प्रशिक्षण व्यय की व्यवस्था | 15,000.00 | 7,500.00 | 50 | |
| 115. | | 2230-03-101-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें | 75.00 | 75.00 | 100 | |
| 116. | | 4250-203-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें | 610.00 | 610.00 | 100 | |
| 117. | | 4250-203-03-अल्प संख्यक बाहुल्य विकास खण्डों एवं अन्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना | 2,400.00 | 2,306.61 | 96 | |
| 118. | | 4250-203-11-दस्तकार प्रशिक्षण योजना | 10.00 | 6.00 | 60 | |
| 119. | 70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 4810-102-04-सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना | 1,000.00 | 549.93 | 55 | |
| 120. | 71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | 2071-01-117-03-प्राथमिक विद्यालय/सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए टियर-I खाते में अंशदान | 50,000.00 | 39,494.64 | 79 | |
| 121. | | 2202-01-105-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें | 16,000.00 | 11,008.00 | 69 | |
| 122. | | 2202-01-105-03- अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी का अधिष्ठान व्यय | 2,090.63 | 1,853.45 | 89 | |
| 123. | | 2202-01-105-11- साक्षर भारत मिशन-2012 | 279.52 | 159.64 | 57 | |
| 124. | | 2202-01-800-03-गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सामूहिक बीमा योजना के राज्य सरकार का अंशदान | 73.00 | 36.50 | 50 | |
| 125. | | 2202-01-800-09- साक्षरता निकेतन, लखनऊ परिसर छात्रावास का निर्माण | 100.00 | 100.00 | 100 | |
| 126. | | 2202-01-111-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें | 15,36,620.90 | 12,76,091.30 | 83 | |

| क्र.सं. | विवरण | प्रस्तावित | अनुमानित | व्यय | व्यय | व्यय |
|---------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|------|------|
| 127. | | 2202-80-800-04- "सभी के लिये शिक्षा" की विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत सचिवालय स्तर पर बजट कार्य तथा अन्य योजनाओं के अनुश्रवण हेतु कोषक की स्थापना | 10.69 | 10.69 | 100 | |
| 128. | | 4202-01-201-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें | 34,736.16 | 20,889.20 | 60 | |
| 129. | | 4202-01-201-03- जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवनों का निर्माण (जिला योजना) | 155.35 | 155.35 | 100 | |
| 130. | 72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | 2202-02-107-11- ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के (कक्षा 9-10) प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ | 8.00 | 6.71 | 89 | |
| 131. | | 2202-02-110-08- अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों को मानदेय के भुगतान हेतु व्यवस्था | 50.00 | 48.92 | 98 | |
| 132. | | 2202-02-110-11-असेवित विकास खण्डों के लिये निजी प्रबंध तंत्रों द्वारा कन्या विद्यालय की स्थापना हेतु अनावर्तक | 10.00 | 10.00 | 100 | |
| 133. | | 2202-02-110-12-एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबंध तंत्रों द्वारा कन्या विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान (जिला योजना) | 50.00 | 50.00 | 100 | |
| 134. | | 2202-02-800-03- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सामूहिक बीमा योजना हेतु राज्य सरकार का अंशदान | 23.76 | 23.76 | 100 | |
| 135. | | 2202-02-800-07- शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु माध्यमिक विद्यालयों की ग्रेडिंग | 50.00 | 45.92 | 92 | |
| 136. | | 2202-02-800- 27- उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त अशासकीय असाहायिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय का भुगतान | 100.00 | 100.00 | 100 | |
| 137. | | 2202-05-103- 06-उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद को सहायक अनुदान | 59.10 | 36.05 | 61 | |
| 138. | | 2205-105-06-पब्लिक लाइब्रेरी को अनुदान | 10.00 | 10.00 | 100 | |
| 139. | | 2202-01-110- 05-सहायक प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का शैक्षिक भ्रमण | 5.00 | 5.00 | 100 | |
| 140. | | 4202-01-202-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 21,693.82 | 16,212.85 | 75 | |
| 141. | | 4202-01-202-18-ई-बुक्स का क्रय/ई-लाइब्रेरी की स्थापना | 500.00 | 318.97 | 64 | |
| 142. | | 4202-01-202-23- उ.प्र. सैनिक स्कूल | 10.00 | 10.00 | 100 | |
| 143. | | 4202-04-105-03-राजकीय जिला पुस्तकालयों के भवनों का निर्माण कार्य | 275.00 | 171.34 | 62 | |

| क्र.सं. | वर्ष | विवरण | प्रस्तावित व्यय | अनुदानित व्यय | अनुपात (%) |
|---------|------|----------------------------|--|---------------|------------|
| 144. | 73 | शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) | 2071-01-117-03-राज्य सरकार द्वारा अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए टियर-I खाते में अंशदान | 5,000.00 | 100 |
| 145. | | | 2071-01-117-04-राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए टियर-I खाते में अंशदान | 5,000.00 | 98 |
| 146. | | | 2202-03-102-14-प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सेमिनार तथा सिम्पोजियम | 30.00 | 58 |
| 147. | | | 2202-03-102-25- विकास अध्ययन संस्थान के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को सहायता | 8.00 | 100 |
| 148. | | | 2202-03-102-26- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर | 263.08 | 55 |
| 149. | | | 2202-03-102-32- इन्टर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल हेतु अनुदान | 20.00 | 70 |
| 150. | | | 2202-03-102-48- इम्प्लायमेन्ट ब्यूरो/ गाइडेंस सेल/ प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना | 40.00 | 66 |
| 151. | | | 2202-03-102-49- सेण्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना | 215.00 | 60 |
| 152. | | | 2202-03-800-02- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान | 556.36 | 100 |
| 153. | | | 2202-03-800-05- अवशेषों का भुगतान | 128.10 | 100 |
| 154. | | | 2202-03-800-12- महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की मान्यता की पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था | 50.00 | 100 |
| 155. | | | 2202-03-800-13- प्रदेश के महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट | 400.00 | 100 |
| 156. | | | 2202-03-800-17- अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना | 2,112.00 | 100 |
| 157. | | | 2202-03-800-18- समस्त कालेजों, विश्वविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा | 5,000.00 | 100 |
| 158. | | | 2202-03-800-19- विश्वविद्यालयों/संस्थानों को चांसलर एवार्ड | 16.90 | 100 |
| 159. | | | 2204-102-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 1,435.01 | 97 |
| 160. | | | 2204-102-03- छात्र कल्याण निधि से पोषित कार्यक्रमों के लिए अनुदान | 10.00 | 100 |
| 161. | | | 4202-01-203-33- राजकीय उपाधि महाविद्यालय | 100.00 | 68 |
| 162. | | | 4202-01-800-03- पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद | 1.50 | 100 |
| 163. | 76 | श्रम विभाग | 2230-01-103-08- बाल श्रम उन्मूलन | 28.92 | 51 |
| 164. | | (श्रम कल्याण) | 2230-01-103-09- महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए समिति का गठन | 20.00 | 100 |

| क्र.सं. | वर्ष | विवरण | प्रस्ताव संख्या | अनुमानित व्यय (₹) | अनुमानित व्यय (₹) | अनुमानित व्यय (₹) |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 165. | 78 | सचिवालय प्रशासन विभाग | 2013-800-03- मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय | 185.00 | 141.07 | 76 |
| 166. | 2052-090-04- सचिवालय प्रलेखीकरण केन्द्र एवं पुस्तकालय का विकास एवं विस्तार | | 8.50 | 6.11 | 72 | |
| 167. | 2052-090-05- संसदीय कार्य विभाग | | 11.70 | 6.38 | 55 | |
| 168. | 2052-090-07- सचिवालय का आधुनिकीकरण | | 631.00 | 560.65 | 89 | |
| 169. | 2052-090-11- ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत सचिवालय में कम्प्यूटर, लैपटाप एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों का क्रय | | 2,825.00 | 2,324.77 | 82 | |
| 170. | 2052-090-12- आधार तथा बायोमेट्रिक पर आधारित उपस्थिति प्रणाली | | 65.00 | 33.34 | 51 | |
| 171. | 79 | | समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) | 2235-02-101-19- "सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना | 50.00 | 28.36 |
| 172. | 2235-02-101-33- मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालिकाओं के लिए राजकीय विद्यालय "ममता" | 53.60 | | 51.41 | 96 | |
| 173. | 2235-02-107-03- विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं की सहायता | 30.00 | | 25.52 | 85 | |
| 174. | 2235-02-800-04- असहाय विकलांग व्यक्तियों की बीमारी के इलाज हेतु अनुदान | 620.00 | | 548.03 | 88 | |
| 175. | 4235-02-101-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 500.00 | | 430.14 | 86 | |
| 176. | 4235-02-101-04- "सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर बाधारहित बनाया जाना (के-100/रा.0-के) | 6,000.00 | | 3,293.13 | 55 | |
| 177. | 4235-02-101-06- संकेत राजकीय मूक बधिर विद्यालय, गोरखपुर में छात्रावास भवन तथा आवासीय भवनों का निर्माण | 158.72 | | 158.72 | 100 | |
| 178. | 4235-02-101-10- "प्रयास" राजकीय शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का विद्यालय, लखनऊ | 196.73 | | 196.73 | 100 | |
| 179. | 4235-02-101-12- संकेत मूक बधिर जूनियर हाई स्कूल, मोहान रोड लखनऊ का इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण | 97.89 | | 97.89 | 100 | |
| 180. | 81 | समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | | 2202-03-796-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें | 57.25 | 57.25 |
| 181. | 2217-05-796-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें | | 5,800.00 | 4,269.86 | 74 | |
| 182. | 2401-796-02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | | 84.00 | 64.52 | 77 | |
| 183. | 4702-796-02- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | | 57.00 | 44.95 | 79 | |

| क्र.सं. | वर्ष | विवरण | अनुमानित व्यय (₹) | अनुमानित आय (₹) | शुद्ध व्यय (₹) | |
|---------|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|----------------|-------|
| 184. | 83 | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 2203-789-03- आई0 टी0 पालीटेक्निकों की स्थापना | 600.00 | 600.00 | 100 |
| 185. | | 2215-01-789-05- राज्य ग्रामीण पेय जल योजना | 300.00 | 300.00 | 100 | |
| 186. | | 2217-05-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 60,000.00 | 43,034.26 | 72 | |
| 187. | | 2230-02-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 5,450.00 | 3,771.52 | 69 | |
| 188. | | 2235-60-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 4,228.40 | 3,380.00 | 80 | |
| 189. | | 2401-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 13,735.48 | 7,822.16 | 57 | |
| 190. | | 2401-789-02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) | 20,000.00 | 17,105.25 | 86 | |
| 191. | | 2403-789-02- राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम | 14.14 | 12.84 | 91 | |
| 192. | | 2501-05-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 5,287.50 | 3,039.50 | 57 | |
| 193. | | 2702-80-789-03- लघु सिंचाई योजना (जिला योजना) | 2.50 | 2.50 | 100 | |
| 194. | | 4210-01-789-03- जिला/संयुक्त चिकित्सालयों तथा अन्य चिकित्सालयों के लिये उपकरणों का क्रय | 1,500.00 | 887.72 | 59 | |
| 195. | | 4210-02-789-04- नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण (जिला योजना) | 600.00 | 402.44 | 67 | |
| 196. | | 4210-02-789-09-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों का क्रय | 668.29 | 350.89 | 53 | |
| 197. | | 4216-02-789-03- आसरा योजना (आवासीय भवन) | 5,000.00 | 4,041.72 | 81 | |
| 198. | | 4702-789-02- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | 2,000.00 | 1,463.96 | 73 | |
| 199. | | 5054-04-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | 4,255.00 | 4,255.00 | 100 | |
| 200. | | 89 | संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर) | 2040-800-11- व्यापारी कल्याण बोर्ड | 86.40 | 86.40 |
| 201. | 2040-800-12- जिला मध्यस्थता प्राधिकरण | | 379.50 | 223.13 | 59 | |
| | | | 31,23,980.46 | 25,18,102.53 | | |
| | | | 31,239.80 | 25,181.03 | | |

lkj f' k"V 2.7

okLrfod cpr l s vf/kd vH; iZk ₹ 50 yk[k ; k vf/kd½

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.6 पृष्ठ 40)

₹ djkM+e½

| Ø0 l d | vupku l a[; k | vupku@foHkkx dk uke | dy vupku | cpr | vH; fi r /kuj kf' k | vf/kd vH; fi r /kuj kf' k |
|---------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| jktLo&nÜker | | | | | | |
| 1. | 31 | चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) | 2,714.75 | 248.99 | 255.59 | 6.60 |
| 2. | 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) | 5,940.58 | 867.16 | 870.26 | 3.10 |
| 3. | 71 | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | 50,190.43 | 17,493.77 | 17,579.40 | 85.63 |
| 4. | 72 | शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | 9,099.94 | 620.44 | 689.03 | 68.59 |
| 5. | 73 | शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) | 2,412.61 | 451.39 | 462.78 | 11.39 |
| 6. | 78 | सचिवालय प्रशासन विभाग | 989.97 | 271.32 | 281.17 | 9.85 |
| 7. | 89 | संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) | 817.14 | 71.73 | 72.33 | 0.60 |
| ; kx | | | 72,165.42 | 20,024.80 | 20,210.56 | 185.76 |
| i rthxr&nÜker | | | | | | |
| 8. | 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 610.43 | 297.75 | 299.30 | 1.55 |
| 9. | 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 13,461.61 | 5,179.06 | 5,202.62 | 23.56 |
| 10. | 71 | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | 403.41 | 185.18 | 215.32 | 30.14 |
| ; kx | | | 14,475.45 | 5,661.99 | 5,717.24 | 55.25 |
| egk; kx | | | 86,640.87 | 25,686.79 | 25,927.80 | 241.01 |

Annexure 2.8
 विभागात्मक वित्त प्रवृत्ति का विवरण
 (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.7 पृष्ठ 40)

₹ करोड़ में

| क्र.सं. | विभाग | विवरण | वित्त प्रवृत्ति | |
|----------------|-------|---|-----------------|----------|
| | | | अनुदान | अन्य |
| I-विभाग | | | | |
| 1. | 01 | आबकारी विभाग | 14.41 | 0.15 |
| 2. | 02 | आवास विभाग | 453.37 | 88.45 |
| 3. | 03 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | 79.24 | 9.00 |
| 4. | 04 | उद्योग विभाग (खाने एवं खनिज) | 7.34 | 1.35 |
| 5. | 06 | उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) | 16.42 | 0.00 |
| 6. | 08 | उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) | 15.89 | 0.01 |
| 7. | 17 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) | 32.88 | 0.00 |
| 8. | 18 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) | 16.79 | 0.00 |
| 9. | 19 | कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) | 2.46 | 0.00 |
| 10. | 20 | कार्मिक विभाग (लोकसेवा आयोग) | 27.28 | 0.00 |
| 11. | 22 | खेल विभाग | 2.84 | 49.99 |
| 12. | 25 | गृह विभाग (जेल) | 62.35 | 29.99 |
| 13. | 26 | गृह विभाग (पुलिस) | 1,215.29 | 72.20 |
| 14. | 27 | गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) | 6.82 | 0.00 |
| 15. | 28 | गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) | 42.61 | 0.30 |
| 16. | 30 | गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) | 0.87 | 0.00 |
| 17. | 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) | 0.00 | 225.40 |
| 18. | 33 | चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) | 228.86 | 0.35 |
| 19. | 34 | चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी) | 59.96 | 0.01 |
| 20. | 35 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | 858.14 | 26.27 |
| 21. | 36 | चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) | 100.12 | 8.88 |
| 22. | 39 | भाषा विभाग | 3.53 | 0.00 |
| 23. | 41 | निर्वाचन विभाग | 80.31 | 1.00 |
| 24. | 42 | न्याय विभाग | 482.06 | 855.26 |
| 25. | 43 | परिवहन विभाग | 0.00 | 26.65 |
| 26. | 44 | पर्यटन विभाग | 2.52 | 2,034.83 |
| 27. | 45 | पर्यावरण विभाग | 1.75 | 0.00 |
| 28. | 48 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 0.00 | 106.53 |
| 29. | 49 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 2,247.92 | 128.85 |
| 30. | 50 | राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) | 145.75 | 166.06 |
| 31. | 51 | राजस्व विभाग (देवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत) | 816.86 | 22.50 |
| 32. | 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) | 0.00 | 54.83 |

| क्र.सं. | वृ.सं. | विवरण | कप्र | |
|----------------------|--------|--|------------------|-----------------|
| | | | ज.क.ल. | म.क.र. |
| 33. | 54 | लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) | 996.61 | 0.00 |
| 34. | 56 | लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) | 0.00 | 32.06 |
| 35. | 57 | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) | 34.69 | 281.27 |
| 36. | 58 | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) | 0.00 | 4,562.53 |
| 37. | 59 | लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) | 0.00 | 71.91 |
| 38. | 60 | वन विभाग | 156.45 | 15.48 |
| 39. | 63 | वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) | 84.00 | 2.00 |
| 40. | 67 | विधान परिषद सचिवालय | 10.37 | 0.04 |
| 41. | 74 | गृह विभाग (होमगार्ड्स) | 8.76 | 1.30 |
| 42. | 75 | शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) | 48.74 | 6.51 |
| 43. | 76 | श्रम विभाग (श्रम कल्याण) | 0.00 | 0.02 |
| 44. | 77 | श्रम विभाग (सेवायोजन) | 19.61 | 0.10 |
| 45. | 78 | सचिवालय प्रशासन विभाग | 0.00 | 16.02 |
| 46. | 80 | समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) | 702.81 | 0.00 |
| 47. | 82 | सतर्कता विभाग | 4.05 | 0.00 |
| 48. | 84 | सामान्य प्रशासन विभाग | 15.94 | 11.12 |
| 49. | 86 | सूचना विभाग | 17.79 | 1.00 |
| 50. | 87 | सैनिक कल्याण विभाग | 7.16 | 0.02 |
| 51. | 88 | संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) | 39.86 | 4.10 |
| 52. | 90 | संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) | 3.87 | 0.00 |
| 53. | 91 | संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) | 37.86 | 0.00 |
| 54. | 92 | संस्कृति विभाग | 22.89 | 20.61 |
| 55. | 94 | सिंचाई विभाग (निर्माण) | 162.39 | 575.96 |
| 56. | 95 | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | 701.41 | 0.00 |
| | | | 10,099.90 | 9,510.91 |
| II – fofu; kx | | | | |
| 57. | 01 | आबकारी विभाग | 0.16 | 0.00 |
| 58. | 03 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | 0.06 | 0.00 |
| 59. | 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 0.01 | 0.00 |
| 60. | 17 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) | 0.05 | 0.00 |
| 61. | 18 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) | 0.55 | 0.00 |
| 62. | 20 | कार्मिक विभाग (लोकसेवा आयोग) | 6.31 | 0.00 |
| 63. | 23 | गन्ना विकास विभाग (गन्ना) | 0.02 | 0.00 |
| 64. | 25 | गृह विभाग (जेल) | 0.10 | 0.00 |
| 65. | 26 | गृह विभाग (पुलिस) | 0.89 | 0.00 |
| 66. | 29 | गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) | 3.10 | 0.00 |
| 67. | 35 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | 0.17 | 0.00 |
| 68. | 36 | चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) | 0.02 | 0.00 |
| 69. | 42 | न्याय विभाग | 18.48 | 2.03 |

| क्र. सं. | विवरण | विवरण | कप्र | |
|----------|-------|---|------------------|-----------------|
| | | | ज.क.ल. | अ.क.ल. |
| 70. | 49 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 0.10 | 0.00 |
| 71. | 50 | राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) | 0.15 | 0.00 |
| 72. | 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) | 0.21 | 0.13 |
| 73. | 54 | लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) | 0.04 | 0.00 |
| 74. | 55 | लोक निर्माण विभाग (भवन) | 0.01 | 0.00 |
| 75. | 58 | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) | 0.05 | 0.00 |
| 76. | 60 | वन विभाग | 0.14 | 0.00 |
| 77. | 62 | वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) | 4.96 | 0.00 |
| 78. | 67 | विधान परिषद सचिवालय | 0.56 | 0.00 |
| 79. | 82 | सतर्कता विभाग | 0.41 | 0.00 |
| 80. | 94 | सिंचाई विभाग (निर्माण) | 0.00 | 3.74 |
| 81. | 95 | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | 0.32 | 0.00 |
| | | | 36.87 | 5.90 |
| | | | 10,136.77 | 9,516.81 |
| | | | 19,653.58 | |

lkj f' k"V 2.9

vH; fi r u dh x; h ₹ , d dj kM+ , oa ml l s vf/kd dh cpra

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.7; पृष्ठ 40)

₹ dj kM+ e%h

| 00 l 0 | vunku l a[; k | vunku@fofu; ks dk uke | cpr | vH; iZk | cpra ftlga vH; fi r ugha fd; k x; k |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|---|
| jktLo &nUker | | | | | |
| 1. | 01 | आबकारी विभाग | 14.41 | 0.00 | 14.41 |
| 2. | 02 | आवास विभाग | 453.37 | 0.00 | 453.37 |
| 3. | 03 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | 79.24 | 0.00 | 79.24 |
| 4. | 04 | उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज) | 7.34 | 0.00 | 7.34 |
| 5. | 06 | उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) | 16.42 | 0.00 | 16.42 |
| 6. | 07 | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | 579.43 | 4.74 | 574.69 |
| 7. | 08 | उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) | 15.89 | 0.00 | 15.89 |
| 8. | 10 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) | 69.44 | 50.91 | 18.53 |
| 9. | 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 14,633.26 | 14,621.81 | 11.45 |
| 10. | 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 573.19 | 310.51 | 262.68 |
| 11. | 14 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | 1,080.89 | 7.51 | 1,073.38 |
| 12. | 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) | 214.55 | 190.41 | 24.14 |
| 13. | 17 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) | 32.88 | 0.00 | 32.88 |
| 14. | 18 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) | 16.79 | 0.00 | 16.79 |
| 15. | 19 | कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) | 2.46 | 0.00 | 2.46 |
| 16. | 20 | कार्मिक विभाग (लोकसेवा आयोग) | 27.28 | 0.00 | 27.28 |
| 17. | 21 | खाद्य एवं रसद विभाग | 111.37 | 102.69 | 8.68 |
| 18. | 22 | खेल विभाग | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
| 19. | 23 | गन्ना विकास विभाग (गन्ना) | 33.31 | 1.37 | 31.94 |
| 20. | 25 | गृह विभाग (जेल) | 62.35 | 0.00 | 62.35 |
| 21. | 26 | गृह विभाग (पुलिस) | 1,215.29 | 0.00 | 1,215.29 |
| 22. | 27 | गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) | 6.82 | 0.00 | 6.82 |
| 23. | 28 | गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) | 42.61 | 0.00 | 42.61 |
| 24. | 33 | चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) | 228.86 | 0.00 | 228.86 |
| 25. | 34 | चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी) | 59.96 | 0.00 | 59.96 |
| 26. | 35 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | 858.14 | 0.00 | 858.14 |
| 27. | 36 | चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) | 100.12 | 0.00 | 100.12 |
| 28. | 37 | नगर विकास विभाग | 5,574.84 | 5,112.68 | 462.16 |
| 29. | 39 | भाषा विभाग | 3.53 | 0.00 | 3.53 |
| 30. | 40 | नियोजन विभाग | 202.14 | 186.74 | 15.40 |
| 31. | 41 | निर्वाचन विभाग | 80.31 | 0.00 | 80.31 |
| 32. | 42 | न्याय विभाग | 482.06 | 0.00 | 482.06 |
| 33. | 44 | पर्यटन विभाग | 2.52 | 0.00 | 2.52 |

| क्र.सं. | विवरण | प्रस्तावित व्यय | अनुसूचित जातियों का व्यय | कुल व्यय | |
|---------|--|--|--------------------------|------------------|-------|
| 34. | पर्यावरण विभाग | 1.75 | 0.00 | 1.75 | |
| 35. | प्राविधिक शिक्षा विभाग | 38.26 | 35.54 | 2.72 | |
| 36. | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 2,247.92 | 0.00 | 2,247.92 | |
| 37. | राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) | 145.75 | 0.00 | 145.75 | |
| 38. | राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत) | 816.86 | 0.00 | 816.86 | |
| 39. | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) | 416.46 | 3.05 | 413.41 | |
| 40. | लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) | 996.61 | 0.00 | 996.61 | |
| 41. | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) | 34.69 | 0.00 | 34.69 | |
| 42. | लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) | 19.75 | 5.72 | 14.03 | |
| 43. | वन विभाग | 156.45 | 0.00 | 156.45 | |
| 44. | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 30.99 | 27.40 | 3.59 | |
| 45. | वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) | 84.00 | 0.00 | 84.00 | |
| 46. | वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि) | 68.74 | 8.82 | 59.92 | |
| 47. | विधान परिषद सचिवालय | 10.37 | 0.00 | 10.37 | |
| 48. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 14.45 | 2.04 | 12.41 | |
| 49. | गृह विभाग (होमगार्ड्स) | 8.76 | 0.00 | 8.76 | |
| 50. | शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) | 48.74 | 0.00 | 48.74 | |
| 51. | श्रम विभाग (श्रम कल्याण) | 51.79 | 27.67 | 24.12 | |
| 52. | श्रम विभाग (सेवायोजन) | 19.61 | 0.00 | 19.61 | |
| 53. | समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) | 216.85 | 46.72 | 170.13 | |
| 54. | समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) | 702.81 | 0.00 | 702.81 | |
| 55. | समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | 150.52 | 46.11 | 104.41 | |
| 56. | सतर्कता विभाग | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
| 57. | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 5,573.74 | 1,906.04 | 3,667.70 | |
| 58. | सामान्य प्रशासन विभाग | 15.94 | 0.00 | 15.94 | |
| 59. | सूचना विभाग | 17.79 | 0.00 | 17.79 | |
| 60. | सैनिक कल्याण विभाग | 7.16 | 0.00 | 7.16 | |
| 61. | संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) | 39.86 | 0.00 | 39.86 | |
| 62. | संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) | 3.87 | 0.00 | 3.87 | |
| 63. | संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) | 37.86 | 0.00 | 37.86 | |
| 64. | संस्कृति विभाग | 22.89 | 0.00 | 22.89 | |
| 65. | सिंचाई विभाग (निर्माण) | 162.39 | 0.00 | 162.39 | |
| 66. | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | 701.41 | 0.00 | 701.41 | |
| | | 39,753.00 | 22,698.48 | 17,054.52 | |
| कुल | | | | | |
| 67. | 2 | आवास विभाग | 88.45 | 0.00 | 88.45 |
| 68. | 3 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | 9.00 | 0.00 | 9.00 |

| क्र.सं. | विवरण | प्र.सं. | व.सं. | प्र.सं. व.सं. |
|---------|---|----------|----------|---------------|
| 69. | उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज) | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| 70. | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | 713.76 | 0.01 | 713.75 |
| 71. | ऊर्जा विभाग | 45.20 | 38.57 | 6.63 |
| 72. | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | 212.44 | 0.06 | 212.38 |
| 73. | खाद्य एवं रसद विभाग | 2,553.31 | 2,545.40 | 7.91 |
| 74. | खेल विभाग | 49.99 | 0.00 | 49.99 |
| 75. | गन्ना विकास विभाग (गन्ना) | 60.15 | 0.15 | 60.00 |
| 76. | गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | 380.43 | 363.75 | 16.68 |
| 77. | गृह विभाग (जेल) | 29.99 | 0.00 | 29.99 |
| 78. | गृह विभाग (पुलिस) | 72.20 | 0.00 | 72.20 |
| 79. | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) | 225.40 | 0.00 | 225.40 |
| 80. | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | 26.27 | 0.00 | 26.27 |
| 81. | चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य) | 8.88 | 0.00 | 8.88 |
| 82. | नगर विकास विभाग | 515.88 | 117.14 | 398.74 |
| 83. | नियोजन विभाग | 354.32 | 345.26 | 9.06 |
| 84. | निर्वाचन विभाग | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 85. | न्याय विभाग | 855.26 | 0.00 | 855.26 |
| 86. | परिवहन विभाग | 26.65 | 0.00 | 26.65 |
| 87. | पर्यटन विभाग | 2,034.83 | 0.00 | 2,034.83 |
| 88. | प्राविधिक शिक्षा विभाग | 46.14 | 25.72 | 20.42 |
| 89. | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 106.53 | 0.00 | 106.53 |
| 90. | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 128.85 | 0.00 | 128.85 |
| 91. | राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) | 166.06 | 0.00 | 166.06 |
| 92. | राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत) | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
| 93. | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) | 54.83 | 0.00 | 54.83 |
| 94. | लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) | 32.06 | 0.00 | 32.06 |
| 95. | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) | 281.27 | 0.00 | 281.27 |
| 96. | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) | 4,562.53 | 0.00 | 4,562.53 |
| 97. | लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) | 71.91 | 0.00 | 71.91 |
| 98. | वन विभाग | 15.48 | 0.00 | 15.48 |
| 99. | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 702.31 | 74.73 | 627.58 |
| 100. | वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 101. | शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) | 83.97 | 64.75 | 19.22 |
| 102. | गृह विभाग (होमगार्ड्स) | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 103. | शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) | 6.51 | 0.00 | 6.51 |
| 104. | सचिवालय प्रशासन विभाग | 16.02 | 0.00 | 16.02 |
| 105. | समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) | 87.06 | 37.23 | 49.83 |
| 106. | समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | 74.40 | 4.25 | 70.15 |

| क्र.सं. | विवरण | प्र.सं. | विवरण | प्र.सं. | विवरण |
|----------------|--|---------|------------------|------------------|------------------|
| 107. | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 83 | 1,637.33 | 1,215.39 | 421.94 |
| 108. | सामान्य प्रशासन विभाग | 84 | 11.12 | 0.00 | 11.12 |
| 109. | सूचना विभाग | 86 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 110. | संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) | 88 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
| 111. | संस्कृति विभाग | 92 | 20.61 | 0.00 | 20.61 |
| 112. | सिंचाई विभाग (निर्माण) | 94 | 575.96 | 0.00 | 575.96 |
| | | | 16,976.61 | 4,832.41 | 12,144.20 |
| जिला - हकीमगढ़ | | | | | |
| 113. | ऊर्जा विभाग | 09 | 1,183.00 | 15.88 | 1,167.12 |
| 114. | कार्मिक विभाग (लोकसेवा आयोग) | 20 | 6.31 | 0.00 | 6.31 |
| 115. | गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) | 29 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
| 116. | न्याय विभाग | 42 | 18.48 | 0.00 | 18.48 |
| 117. | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 61 | 2,867.40 | 2,398.16 | 469.24 |
| 118. | वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन) | 62 | 4.96 | 0.00 | 4.96 |
| 119. | वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) | 66 | 22.02 | 20.50 | 1.52 |
| | | | 4,105.27 | 2,434.54 | 1,670.73 |
| जिला - हकीमगढ़ | | | | | |
| 120. | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 61 | 6,973.52 | 0.72 | 6,972.80 |
| | | | 6,973.52 | 0.72 | 6,972.80 |
| | | | 67,808.40 | 29,966.15 | 37,842.25 |

lkj f' k"V 3.1

j ksdMegh vi w k@vuj {k.k u fd; k tkuk

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 46)

(₹ dj kM+ e)

| Øe l - | fuj h{k.k ifronu l a[; k | bdkbl dk uke | j ksdMegh vi w k@vuj {k.k u fd; s tkus dh vof/k | j ksdMegh ea /kuj kf'k dk vdu u gkuk |
|--------|--------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1. | 09/2018-19 | जिला कृषि अधिकारी, जौनपुर | 04/2017 से 3/2018 | 1.87 |
| 2. | 20/2018-19 | उप निदेशक कृषि, कुशीनगर | 10/2017 से 03/2018 | 16.21 |
| 3. | 03/2018-19 | जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा | 11/2012 से 03/2018 | 8.11 |
| 4. | 18/2018-19 | जिला पूर्ति अधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, बरेली | 04/2013 से 3/2018 | 839.89 |
| 5. | 04/2018-19 | बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बहराईच | 04/2005 से 03/2018 | 54.70 |
| 6. | 18/2018-19 | बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, जौनपुर | 04/2014 से 03/2018 | 30.59 |
| 7. | 03/2018-19 | वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), जौनपुर | 06/2017 से 03/2018 | 710.72 |
| 8. | 07/2018-19 | जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, आगरा | 11/2016 से 03/2018 | 3.66 |
| 9. | 08/2018-19 | वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), बलिया | 01/2017 से 03/2018 | 693.94 |
| 10. | 12/2018-19 | जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गाजीपुर | 11/2017 से 03/2018 | 16.47 |
| 11. | 16/2018-19 | वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), गोंडा | 04/2014 से 03/2018 | 1,610.64 |
| 12. | 24/2018-19 | वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), अम्बेडकरनगर | 04/2014 से 03/2018 | 1,367.50 |
| 13. | 19/2018-19 | जिला विकास अधिकारी, कुशीनगर | 04/2014 से 03/2018 | 43.47 |
| | | | ; kx | 5,397.77 |

3.2
 (संदर्भ: प्रस्तर 3.10 ; पृष्ठ 52)

₹

| क्र.सं. | विवरण | राशि |
|---------|--|---------------|
| 1. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड-33, अलीगढ़ | 14.29 |
| 2. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड-17, कानपुर | 5.10 |
| 3. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड-कैंट इकाई, झांसी | 4.81 |
| 4. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद इकाई-28, आगरा | 14.90 |
| 5. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड-24, मुरादाबाद | 2.59 |
| 6. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड-13, लखनऊ | 3.64 |
| 7. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड-31, लखनऊ | 1.26 |
| 8. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड-25, मुरादाबाद | 0.89 |
| 9. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड-37, गोरखपुर | 5.33 |
| 10. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड-29, आगरा | 0.18 |
| 11. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड-02, लखनऊ | 16.44 |
| 12. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड-34, वाराणसी | 4.76 |
| 13. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड-32, सहारनपुर | 3.56 |
| 14. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड-34, कानपुर | 2.56 |
| 15. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड-18, गाजियाबाद | 44.60 |
| 16. | वी.सी., गोरखपुर विकास प्राधिकरण | 4.28 |
| 17. | वित्त नियंत्रक, आगरा विकास प्राधिकरण | 5.27 |
| 18. | वी.सी., कानपुर विकास प्राधिकरण | 3.28 |
| 19. | वी.सी./जिलाधिकारी, हापुड़/पिलकुआ विकास प्राधिकरण | 2.60 |
| 20. | वी.सी./जिलाधिकारी, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण | 7.02 |
| 21. | वी.सी., खुर्जा विकास प्राधिकरण | 3.82 |
| 22. | सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण | 10.44 |
| 23. | वी.सी./जिलाधिकारी, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण | 1.24 |
| 24. | वी.सी., सहारनपुर विकास प्राधिकरण | 2.15 |
| 25. | वी.सी., प्रयागराज विकास प्राधिकरण | 3.37 |
| 26. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड, आजमगढ़ | 0.97 |
| 27. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड-04, लखनऊ | 1.81 |
| 28. | ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड, इटावा | 5.62 |
| 29. | वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण | 12.96 |
| 30. | सचिव, उरई विकास प्राधिकरण | 0.67 |
| 31. | सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण | 2.14 |
| 32. | सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण | 8.10 |
| 33. | सचिव, मिर्जापुर-विन्ध्यांचल विकास प्राधिकरण | 0.21 |
| 34. | सचिव, रायबरेली विकास प्राधिकरण | 1.05 |
| ; kx | | 201.91 |

Table 3.3

Annual Report of the Government of Karnataka for the year 2018-19

(संदर्भ: प्रस्तर 3.11; पृष्ठ 53)

(in Lakhs of Rupees)

| Sl. No. | Department | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | Total |
|---------|---|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 1. | कृषि विभाग | - | - | 2(7.44) | - | - | 1(0.18) | 3(7.62) |
| 2. | पशुपालन विभाग | - | - | - | 2(3.46) | 6(1.18) | 8(1.91) | 16(6.55) |
| 3. | सहकारिता विभाग | - | - | - | 1(1.28) | 1(0.17) | - | 2(1.45) |
| 4. | शिक्षा विभाग | 2(53.22) | 5(112.94) | - | 1(5.00) | - | - | 8(171.16) |
| 5. | मत्स्य विभाग | - | 1(1.01) | - | - | - | 2(1.60) | 3(2.61) |
| 6. | खाद्य एवं रसद विभाग | - | - | 1(3.06) | - | - | 8(25.72) | 9(28.78) |
| 7. | सिंचाई विभाग | - | 6(110.96) | 10(0.56) | 5(3.60) | 20(5.91) | - | 41(121.03) |
| 8. | न्याय विभाग | - | - | 1(4.44) | - | - | - | 1(4.44) |
| 9. | भूमि अध्याप्ति विभाग | - | - | - | - | - | 3(331.78) | 3(331.78) |
| 10. | चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | - | - | - | - | 2(3.95) | 9(11.94) | 11(15.89) |
| 11. | पुलिस विभाग | - | 2(4.00) | - | - | - | 4(4.10) | 6(8.10) |
| 12. | पी.ए.सी. | - | - | - | 1(47.48) | - | 1(0.51) | 2(47.99) |
| 13. | लोक निर्माण विभाग | - | 4(111.96) | 4(34.86) | 1(0.98) | - | - | 9(147.80) |
| 14. | राजस्व विभाग | - | 1(6.68) | - | 1(1.72) | - | 3(6.09) | 5(14.49) |
| 15. | ग्राम्य विकास विभाग | - | - | - | - | 2(1.21) | 7(2.07) | 9(3.28) |
| 16. | समाज कल्याण विभाग | 1(4.44) | - | - | - | 1(0.25) | 2(0.70) | 4(5.39) |
| 17. | प्राविधिक शिक्षा विभाग | - | - | - | 1(11.59) | - | - | 1(11.59) |
| 18. | बाट एवं माप विभाग | - | - | - | - | - | 1(1.01) | 1(1.01) |
| 19. | उद्यान विभाग | - | - | 1(3.59) | - | - | - | 1(3.59) |
| 20. | वित्त विभाग | - | - | - | - | - | 1(0.67) | 1(0.67) |
| Total | | 3(57.66) | 19(347.55) | 19(53.95) | 13(75.11) | 32(12.67) | 50(388.28) | 136(935.22) |

3.4

गणना, आरक्षित, अथवा अन्य विभागों के लिए व्यय का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.11; पृष्ठ 53)

(₹ करोड़)

| क्र.सं. | विभाग | अनुदान | | अनुदान | | अनुदान | | अनुदान | | कुल | |
|---------|---|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
| | | आवक | व्यय | आवक | व्यय | आवक | व्यय | आवक | व्यय | आवक | व्यय |
| 1. | कृषि विभाग | - | - | 1 | 5.45 | 2 | 2.17 | - | - | 3 | 7.62 |
| 2. | पशुपालन विभाग | 11 | 1.78 | - | - | 3 | 1.55 | 2 | 3.22 | 16 | 6.55 |
| 3. | सहकारिता विभाग | 1 | 1.28 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 2 | 1.45 |
| 4. | शिक्षा विभाग | 3 | 6.60 | 2 | 59.41 | - | - | 3 | 105.15 | 8 | 171.16 |
| 5. | मत्स्य विभाग | - | - | - | - | 1 | 1.23 | 2 | 1.38 | 3 | 2.61 |
| 6. | खाद्य एवं रसद विभाग | - | - | - | - | 4 | 10.15 | 5 | 18.63 | 9 | 28.78 |
| 7. | सिंचाई विभाग | 33 | 15.84 | 3 | 29.72 | 3 | 5.28 | 2 | 70.19 | 41 | 121.03 |
| 8. | न्याय विभाग | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.44 | 1 | 4.44 |
| 9. | भूमि अध्याप्ति विभाग | - | - | 2 | 5.78 | - | - | 1 | 326.00 | 3 | 331.78 |
| 10. | चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 6 | 4.13 | - | - | 1 | 1.09 | 4 | 10.67 | 11 | 15.89 |
| 11. | पुलिस विभाग | - | - | - | - | 2 | 4.00 | 4 | 4.10 | 6 | 8.10 |
| 12. | पी.ए.सी. | - | - | - | - | - | - | 2 | 47.99 | 2 | 47.99 |
| 13. | लोक निर्माण विभाग | 3 | 1.63 | - | - | 6 | 146.17 | - | - | 9 | 147.80 |
| 14. | राजस्व विभाग | - | - | - | - | - | - | 5 | 14.49 | 5 | 14.49 |
| 15. | ग्राम्य विकास विभाग | 4 | 0.94 | - | - | 1 | 0.14 | 4 | 2.20 | 9 | 3.28 |
| 16. | समाज कल्याण विभाग | - | - | - | - | - | - | 4 | 5.39 | 4 | 5.39 |
| 17. | प्राविधिक शिक्षा विभाग | - | - | 1 | 11.59 | - | - | - | - | 1 | 11.59 |
| 18. | बाट एवं माप विभाग | 1 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.01 |
| 19. | उद्यान विभाग | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.59 | 1 | 3.59 |
| 20. | वित्त विभाग | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.67 | 1 | 0.67 |
| कुल | | 62 | 33.21 | 9 | 111.95 | 23 | 171.78 | 42 | 618.28 | 136 | 935.22 |

विशेष 3.5

वर्ष 2017-18 में लोक निर्माण विभाग द्वारा वि.सं. 2129 एवं यूपी. 70 डी/5630 हिंसक भीड़ द्वारा जलाया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर 3.11; पृष्ठ 53)

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | प्रदेश | विवरण | प्रकार | अंश |
|---------|-------------|--------------------|--|--------|-------------|
| 1 | लोक निर्माण | उत्तर प्रदेश सरकार | विभागीय जीप संख्या यू.ए.जे. 2129 एवं यूपी. 70 डी/5630 हिंसक भीड़ द्वारा जलाया जाना | एक | 0.57 |
| कुल | | | | | 0.57 |

विधिवत् 3.6

वित्त; अर्थ; द मिश्रण के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
(संदर्भ: प्रस्तर 3.12; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़)

| क्र.सं. | विवरण | वर्ष | अंक |
|--------------------------------|--|---------|-----------------|
| वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | | | |
| 1. | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर | 2017-18 | 1.78 |
| 2. | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झाँसी | 2017-18 | 10.95 |
| 3. | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली | 2017-18 | 11.79 |
| 4. | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ | 2017-18 | 1.59 |
| 5. | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर | 2017-18 | 0.38 |
| 6. | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद | 2017-18 | 3.83 |
| [क] , आजीन वित्त | | | |
| 7. | खाद्य आयुक्त एवं मुख्य लेखाधिकारी | 2013-14 | 3,490.22 |
| [क] के क्यू वित्त | | | |
| 8. | उप निदेशक, पशुधन फार्म निगम | 2014-15 | 27.97 |
| LokLF; वित्त | | | |
| 9. | उप निदेशक, राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिसिन विभाग | 1987-88 | उपलब्ध नहीं |
| कुल | | | 3,548.51 |

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

| क्र.सं. | विवरण | विवरण | विवरण | विवरण | विवरण | विवरण | | विवरण | विवरण | विवरण | विवरण | विवरण |
|---------|---|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | विवरण | विवरण | | | | | |
| 12 | उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड | 2007-08 | 2008-09 से 2017-18 | 7.24 | 0.00 | 5.00 | 8.84 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | लखनऊ नगर परिवहन सेवा लिमिटेड | समाविष्ट तिथि 01.02.2010 | 2009-10 से 2017-18 | 0.00 | 17.84 | 0.00 | 9.00 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | मेरठ नगर परिवहन सेवा लिमिटेड | 2010-11 | 2011-12 से 2017-18 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | इलाहाबाद नगर परिवहन सेवा लिमिटेड | 2014-15 | 2015-16 से 2017-18 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | आगरा मथुरा नगर परिवहन सेवा लिमिटेड | समाविष्ट तिथि 08.07.2010 | 2010-11 से 2017-18 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | कानपुर सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड | समाविष्ट तिथि 28.04.2010 | 2010-11 से 2017-18 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | वाराणसी नगर परिवहन सेवा लिमिटेड | समाविष्ट तिथि 15.06.2010 | 2010-11 से 2017-18 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1,931.77 | 574.60 | 223.26 | 47.61 | 79.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | आंकड़े {क= | | | | | | | | |
| 19 | उत्तर प्रदेश पावर निगम लिमिटेड ¹ | 2015-16 | 2016-17 से 2017-18 | 66,429.38 | 16,562.10 | 3,700.32 | 158.40 | 9,629.86 | 12,609.03 | 41,554.69 | | |
| 20 | उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड | 2015-16 | 2016-17 से 2017-18 | 434.53 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. | 2015-16 | 2016-17 से 2017-18 | 10,091.20 | 2,403.22 | 0.00 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | 972.40 | | |
| | | | | 76,955.11 | 18,966.12 | 3,700.32 | 158.4 | 9,643.42 | 12,609.03 | 42,527.09 | | |
| | | | | वर्ष; | | | | | | | | |
| 22 | उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड | 2011-12 | 2012-13 से 2017-18 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 79,162.48 | 19,555.36 | 3,923.58 | 379.94 | 9,773.86 | 12,609.03 | 42,527.09 | | |

¹ राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में निवेश में इनके सहायक कम्पनियों में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि सम्मिलित है।

| 00 Lkd | ih, l ; # dk uke | vof/k tc rd ds ys[kka dk vflretdj .k gmk | vof/k tc rd ds ys[kk vflretdj .k gq yfEcr | v ru- vfretdr ys[k ds vuq kj i nRr i #th | ih, l ; # ds ys[kka ds cdk; s vof/k ds nkjku jkT; l jdkj }kjk i nRr ctVh; l eflu@i frHfr | | i #tbr vuqku | vli; vuqku | l fcl Mh | i frHfr |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | bfdoVh | _.k | | | | |
| l kfof/kd fuxe | | | | | | | | | | |
| Lkkeftd {k= | | | | | | | | | | |
| 23 | उत्तर प्रदेश जल निगम | 2011-12 | 2012-13 से 2017-18 | 0.00 | 657.69 | 10,830.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Lkkeftd {k= dk ; kx | 0.00 | 657.69 | 10,830.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i frLi /kl i fjos'k e l kfof/kd fuxe | | | | | | | | | | |
| 24 | उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | 2016-17 | 2017-18 | 824.88 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | i frLi /kl {k= dk ; kx | 824.88 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | l kfof/kd fuxe dk ; kx | 824.88 | 50.00 | 10,830.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | egk: kx | 79,987.36 | 19,605.36 | 4,581.27 | 11,210.69 | 9,773.86 | 12,609.03 | 42,527.09 |

Table 3.8
संशोधित वित्त व्यय के विवरण (संदर्भ: प्रस्ताव 3.14; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | वर्ष | अनुदान | व्यय | अनुमानित व्यय | अनुदान का प्रतिशत | अनुदान का प्रतिशत |
|---------|--|---------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 2017-18 | 128.95 | 1,049.92 | 10,796.79 | 539.84 | 0.00 |
| 2 | उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड | 2009-10 | 9.97 | 40.51 | 5.50 | 0.28 | 0.25 |
| 3 | उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड | 2013-14 | 0.36 | 2.07 | 5.19 | 0.26 | 0.00 |
| 4 | उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड | 2015-16 | 23.08 | 86.92 | 6.40 | 0.32 | 0.64 |
| 5 | उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड | 2013-14 | 95.22 | 573.43 | 24.08 | 1.20 | 1.20 |
| 6 | उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड | 2012-13 | 98.48 | 800.72 | 1.00 | 0.05 | 0.20 |
| 7 | उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (उ.प्र. समाज कल्याण निर्माण निगम लि. के रूप में पूर्व में जाना जाता था) | 2016-17 | 1.62 | 73.16 | 0.15 | 0.01 | 0.02 |
| 8 | उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड | 2014-15 | 27.91 | 188.14 | 15.00 | 0.75 | 3.71 |
| 9 | उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड | 2016-17 | 0.89 | 6.18 | 87.66 | 4.38 | 0.09 |
| 10 | उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड | 2016-17 | 4.35 | 11.02 | 1.00 | 0.05 | 0.05 |
| 11 | उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड | 2016-17 | 38.73 | 218.79 | 0.43 | 0.02 | 0.02 |
| 12 | उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड | 2012-13 | 3.51 | 113.37 | 6.92 | 0.35 | 0.00 |
| 13 | उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम | 2015-16 | 0.08 | 0.82 | 1.50 | 0.08 | 0.00 |
| 14 | उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड | 2011-12 | 1.10 | 3.83 | 1.07 | 0.05 | 0.00 |
| 15 | उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड | 2015-16 | 10.53 | 25.24 | 3.00 | 0.15 | 0.15 |
| 16 | उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद | 2017-18 | 0.22 | 0.44 | 0.05 | 0.003 | 0.00 |
| 17 | उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम | 2015-16 | 51.23 | 473.00 | 13.37 | 0.67 | 2.23 |
| 18 | ऑटो ट्रेक्टर लिमिटेड | 1991-92 | 0.11 | 0.00 | 7.50 | 0.38 | 0.00 |
| 19 | लखनऊ मंडलीय विकास निगम लिमिटेड | 1981-82 | 0.01 | 1.49 | 0.50 | 0.03 | 0.00 |
| 20 | उत्तर प्रदेश बुन्देलखंड विकास निगम लिमिटेड | 2010-11 | 0.09 | 0.01 | 1.23 | 0.06 | 0.00 |
| कुल | | | 496.44 | 3,669.06 | 10,978.34 | 548.92 | 8.56 |

i f j f' k"V 4
' kCnkoyh ¼vfrfjDr vkadM½

x.kuk dk vk/kkj

| in | x.kuk dk vk/kkj |
|---------------------------------------|---|
| वृद्धि दर (आर.ओ.जी.) | $[(\text{वर्तमान वर्ष की धनराशि} / \text{विगत वर्ष की धनराशि}) - 1] \times 100$ |
| विकास पर व्यय | सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं |
| राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान | $\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं} + \text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं}) / 2] \times 100$ |
| बकाया ऋण से ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत | $\text{प्राप्त ब्याज} [(\text{प्रारम्भिक अवशेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अन्तिम अवशेष}) / 2] \times 100$ |
| राजस्व घाटा | राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय |
| राजकोषीय घाटा | राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियां – विविध पूंजीगत प्राप्तियां |
| प्राथमिक घाटा | राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान |

i n k a dh 0; k [; k

| in | 0; k [; k |
|----------------------------------|---|
| विकास व्यय | व्ययों के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर विकास के कार्यों पर हुए व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा पूंजीगत परिव्यय एवं ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित व्यय को सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा एवं सामान्य सेवाओं में विभाजित किया गया है। वृहद् रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय विकास व्यय होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय गैर विकास व्यय है। |
| ऋण संवहनीयता | राज्य द्वारा ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह ऋण वापसी की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तरल संपत्तियों की पर्याप्तता, चालू या वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करने तथा अतिरिक्त उधारी की लागत तथा उधारी के प्रतिफल में संतुलन बनाये रखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण वापसी की क्षमता से सुमेल होना चाहिए। |
| ऋण स्थिरता | यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज की लागत दर या सार्वजनिक उधारी से अधिक है तो ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात संभवतः स्थिर होगा। बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो। आगणित दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर—ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण x दर विस्तार), के आधार पर यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा या अंततोगत्वा ऋण में स्थिरता होगी। दूसरी स्थिति में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाय तो ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी एवं यदि किसी स्थिति में यह धनात्मक हो तो ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिरेगा। |
| गैर—ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता | वृद्धिमान ब्याज देयताओं एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के आधार पर राज्य की वृद्धिमान गैर—ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित होती है। यदि वृद्धिमान गैर—ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिमान ब्याज भार एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को वहन कर लेती है तो ऋण की संवहनीयता में पर्याप्त मात्रा में मदद मिल सकेगी। |
| उधार निधियों की निवल उपलब्धता | उधार निधियों की निवल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधार निधियों की निवल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया गया है। |
| विनियोग लेखे | विधान सभा द्वारा प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अन्तर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरुद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अन्तर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय का विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है। |
| स्वायत्त निकाय | जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन—प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर, लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियां या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है। |
| वचनबद्ध व्यय | राजस्व लेखों पर मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यकारिणी का सीमित नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय होते हैं। |
| आकस्मिक देयतायें | किसी के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं का सृजन |

| in | 0; k[; k |
|-----------------------------|--|
| | किया/नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण। |
| सिंकिंग फण्ड (निक्षेप निधि) | सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना अपने ऋणों से मुक्ति हेतु की जाती है जिसमें समयान्तर्गत धन आरक्षित किया जाता है। |
| प्रत्याभूति विमोचन निधि | राज्य के समेकित निधि पर ऋणी, जिसके लिए प्रत्याभूति विस्तारित की गयी, ऋणी द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में उत्पन्न आकस्मिक प्रत्याभूति देयतायें होती हैं। प्रत्याभूति विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बकाया प्रत्याभूतियों के प्राप्त न हुए एवं वर्तमान वर्ष में वृद्धिमान प्रत्याभूतियों के प्राप्त न होने वाली धनराशि की स्थिति में उसके कम से कम पांचवें हिस्से के योगदान निधि में होना चाहिए। |
| आन्तरिक ऋण | भारत में लोगों द्वारा प्राप्त नियमित ऋणों को आन्तरिक ऋण कहते हैं। जिसे "भारत में एकत्र ऋण" भी कहा जाता है। यह समेकित निधि को क्रेडिट किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है। |
| प्राथमिक राजस्व व्यय | राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक राजस्व व्यय आता है। |
| प्राथमिक व्यय | प्राथमिक राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण तथा अग्रिम |
| प्राथमिक राजस्व घाटा/आधिक्य | गैर ऋण प्राप्तियाँ – प्राथमिक राजस्व व्यय |
| प्राथमिक घाटा/आधिक्य | ब्याज रहित राजकोषीय घाटे से प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी इस प्रकार भी व्याख्या की जा सकती है कि राज्य का ब्याज रहित व्यय राजस्व प्राप्तियों एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक था। |
| पुनर्विनियोग | मूल विनियोग के इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को धनराशि का हस्तांतरण। |
| लोक लेखा समिति | विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के, राज्य के विनियोग लेखों, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखों या इस प्रकार के अन्य लेखों या वित्तीय मामलों, जिसकी जाँच करना यह समिति आवश्यक समझे, की जाँच करें। |

i Fkek{kj h

| i Fkek{kj h | i w k foLrkj |
|---------------------|--|
| ए सी बिल | संक्षिप्त आकस्मिक बिल |
| ए ई | कुल व्यय |
| सी ए जी | भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक |
| सी ए जी आर | मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर |
| सी ई | पूँजीगत व्यय |
| सी एस एफ | समेकित निक्षेप निधि |
| डी सी बिल | विस्तृत आकस्मिक बिल |
| एफ आर बी एम अधिनियम | राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम |
| जी डी पी | सकल घरेलू उत्पाद |
| जी ओ आई | भारत सरकार |
| जी एस डी पी | सकल राज्य घरेलू उत्पाद |
| जी एस टी | वस्तु एवं सेवा कर |
| आई जी एस टी | एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर |
| एम एच | मुख्य लेखाशीर्ष |
| एम टी एफ आर पी | मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति |
| एन डी आर एफ | राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि |
| एन टी आर | करेतर राजस्व |
| ओ टी आर | स्वयं का कर राजस्व |
| पी ए सी | लोक लेखा समिति |
| पी डी लेखा | वैयक्तिक जमा खाता |
| पी एस यू | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम |
| आर ई | राजस्व व्यय |
| आर आर | राजस्व प्राप्तियाँ |
| एस डी आर एफ | राज्य आपदा अनुक्रिया निधि |
| एस जी एस टी | राज्य वस्तु एवं सेवा कर |
| यू सी | उपभोग प्रमाण-पत्र |
| उदय | उज्जवल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना |

सर्वाधिकार सुरक्षित
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

डब्लूडब्लूडब्लू.सीएजी.जीओवी.इन

डब्लूडब्लूडब्लू.एजीयूपी.एनआईसी.इन